PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

अप्रैल-2019 | अंक-1

- भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का सूक्ष्म विश्लेषण
- भारत में लोकपाल: एक लम्बा सफर बाकी
- सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन का वीटो
- भारत में श्रम बल का बढ़ता संविदाकरण
- रात्रिकालीन वाणिज्य: भारत के लिए विकास का एक अवसर
- भारत में अचल संपत्ति क्षेत्र: एक अवलोकन
- हिमालयी क्षेत्र की जलवायु सुभेद्यता का आकलन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA BOOK LIST
IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material

INTERNAL SECURITY

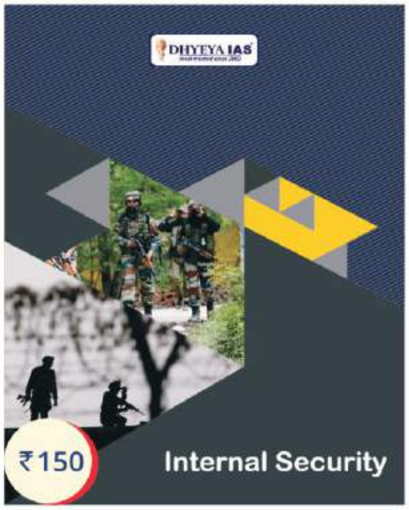

DISASTER MANAGEMENT

INDIAN ART & CULTURE

SCIENCE & TECHNOLOGY
(Fundamentals)

ECOLOGY & ENVIRONMENT
(Conventions, Treaties & Laws)

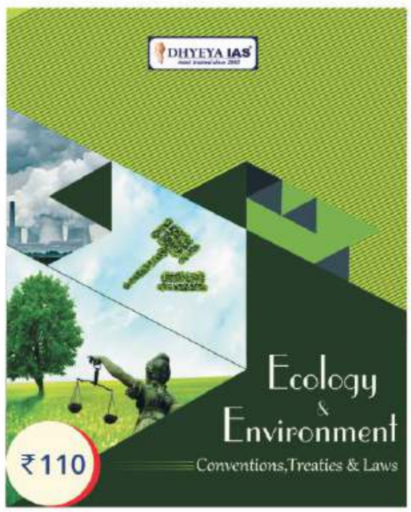

आपदा प्रबंधन

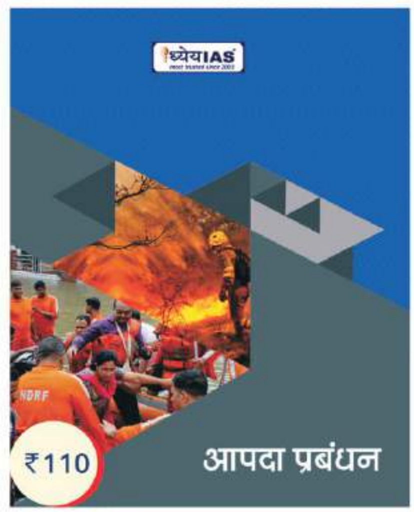

भारतीय अर्थव्यवस्था
एक मौलिक अध्ययन

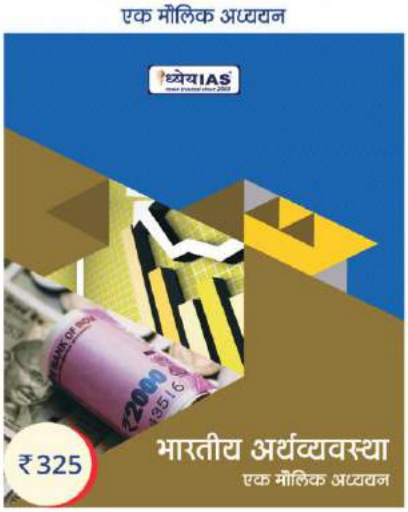

DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS

IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material
Available at

rankerssite.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे की छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसमायिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकोंए वंछ ात्रोंक ोए कम ंचप रस म्मिलित ि कयाज ार हाह ै,त ाकिव ेअ पने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्यसभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दोंक ेइ समेंस माहिति कयाज ाताह ैज हाँस ेप रीक्षाम ेंप्र श्नोंक ाप ूछाज ाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7
ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)
अप्रैल 2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
अवनीश पाण्डेय, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह,
रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
नितेश श्रीवास्तव

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
जीवन ज्योति, शिवम सिंह

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

संवाददाता
मानषी द्विवेदी, राधिका अग्रवाल, सत्यम,
सौम्या त्रिपाठी, अनुराग सिंह, राशि श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का सूक्ष्म विश्लेषण
- भारत में लोकपाल: एक लम्बा सफर बाकी
- सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन का वीटो
- भारत में श्रम बल का बढ़ता संविदाकरण
- रात्रिकालीन वाणिज्य: भारत के लिए विकास का एक अवसर
- भारत में अचल संपत्ति क्षेत्र: एक अवलोकन
- हिमालयी क्षेत्र की जलवायु सुभेद्यता का आकलन

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-23

सात महत्वपूर्ण खबरें 24-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 38-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का सूक्ष्म विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभ पर किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से जनांख्यिकीय विचलन मौजूद है। एक ओर जहाँ भारत में विशाल युवा शक्ति और कार्यबल बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती उम्र और कार्यशील आबादी में कमी भी हो रही है। वर्तमान और भविष्य की जनसांख्यिकीय क्षमता अधिकांशत: उत्तर-मध्य राज्यों में संकेंद्रित है जिनमें बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। यूएनएफपीए द्वारा किए गये अध्ययन के अनुसार कुल युवा आबादी का आधी से अधिक जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में निवास करती है। आने वाले दशक में वर्तमान में जो 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या है, वह कामकाजी जनसंख्या में शामिल हो जाएगी।

परिचय

जनसांख्यिकीय लाभांश उस स्थिति को कहते हैं जब जनसंख्या के ढाँचे में उम्र के आधार पर आने वाले बदलाव के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि परिलक्षित होती है। इस स्थिति में आश्रित जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि कार्यशील आयु की अधिक आबादी से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है, बल्कि इससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। इस स्थिति का लाभ लेने के लिए रोजगार की स्थिति को बेहतर करने के साथ ही कार्यशील आबादी का कुशल होना भी जरूरी होता है, तभी वह संतोषजनक आय स्तर तक पहुंच सकती है।

ज्ञातव्य है कि भारत के नजरिये से देखा जाए तो देश में कार्यशील आबादी का औसत बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बेहतर गति मिल सकती है। वर्तमान में देश में एक बड़ी आबादी युवा है, मगर यह स्थिति देश के सभी राज्यों में एक साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि जनसांख्यिकीय मापदंडों पर अतीत में विभिन्न राज्यों का व्यवहार भिन्न-भिन्न रहा है और विशेषज्ञों ने भविष्य में भी उनमें भिन्नताएँ विद्यमान रहने की संभावनाएँ व्यक्त की हैं।

वर्तमान स्थिति

यूएनएफपीए द्वारा जारी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में जहाँ दक्षिण भारतीय राज्यों में कमी होगी, वहीं उत्तरी राज्यों में इसमें वृद्धि होगी। भारत की कुल युवा आबादी (2001 से 2061 के बीच) का लगभग 2/3 जनसंख्या (400 मिलियन) उत्तर भारत के 6 राज्यों में रहेगी। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों के कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि (2001-2031 तक) 200 से 227 मिलियन होगी। तत्पश्चात इसमें गिरावट परिलक्षित होगी तथा यह 2061 तक लगभग 183 मिलियन ही रहेगी। इस प्रकार 2011 से 2061 तक इसमें 17 मिलियन की कमी होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या 2011 के 297 मिलियन से बढ़कर 2061 तक 515 मिलियन होगी अर्थात 218 मिलियन की वृद्धि होगी। कुल कामकाजी आयु की आबादी के अनुपात के संदर्भ देखा जाए तो उत्तर भारतीय राज्यों में यह आबादी में लगातार वृद्धि (2061 तक) जारी रहेगी। यह अनुपात 2011 में 40% से बढ़कर 2061 में 53 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय राज्यों में कामकाजी आयु समूह में कमी होगी अर्थात् अनुपात के संदर्भ में इन राज्यों में वर्तमान 27 प्रतिशत (2011) से घटकर 2061 तक इसमें 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी।

जनसांख्यिकीय लाभांश और राज्य

- दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अवसर बने हुए हैं, लेकिन वे आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश के दायरे से बाहर आ सकते हैं।
- वहीं गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए अगले पाँच वर्षों तक लाभांश के अवसर बने रहेंगे।
- कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड और हरियाणा में वर्ष 2031 तक लाभांश के अवसर मौजूद रहेंगे।
- जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर केरल और तमिलनाडु में फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। इसका मुख्य कारण राज्य की आबादी में कार्यशील आबादी की तुलना में उम्रदराज आबादी में लगातार वृद्धि का होना है।
- पूरे देश के लिहाज से भारत में अगले 15 वर्षों तक जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर मौजूद रहेंगे।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए साल 2041 से 2051 के बीच जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर उत्पन्न होंगे।

यूएनएफपीए के अध्ययन में राज्यों के तीन वर्गों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहले वर्ग के राज्य मुख्यत: देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी हिस्सों में हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में यह लाभ की स्थिति अगले पाँच वर्षों में समाप्त हो सकती है।

दूसरे वर्ग में वे राज्य हैं जो यह लाभ अगले 10-15 वर्षों तक प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,

जम्मू एवं कश्मीर, असम, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं।

तीसरा वर्ग उच्च प्रजनन दर का है, जो मुख्यतः भारतीय भू-भाग के अंदरूनी हिस्सों में स्थित हैं, जैसे- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। इन राज्यों के लिए जनसांख्यिकीय लाभ की यह स्थिति अभी शुरू भी नहीं हो सकी है।

जनसांख्यिकीय विचलन के नीतिगत निहितार्थ

उत्तर-मध्य क्षेत्र देश की श्रम शक्ति के केंद्र में होगा। यदि भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो विकास की कुंजी इन्हीं राज्यों में निहित है। यदि सही नीतियों तथा आनुवंशिक संसाधनों का आवंटन पूरी क्षमता के साथ इस युवा आबादी वाले राज्यों में किया जाए तो ये राज्य देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्त्ता बन सकते हैं।

दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में तथा उत्तर-मध्य राज्यों में आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने तथा विभिन्न संस्थानों को संचालित करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। भारत में प्रवास के रूझान पहले से ही स्पष्ट हैं और जनसांख्यिकीय विचलन से भारत में प्रवास को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यदि प्रवास की उत्पत्ति वाले राज्य तथा गंतव्य राज्य मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाएँ और केंद्र सरकार इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे जिससे प्रवास की स्थिति से निपटते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित हों, तो यह व्यक्तियों, परिवारों व राज्यों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इससे दोनों राज्यों (प्रवास प्रवाह राज्य तथा प्रवास गंतव्य राज्य) को लाभ मिलेगा।

भारत की लगभग एक तिहाई आबादी, (377 मिलियन) शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरीकरण का यह स्तर दक्षिणी-पश्चिमी राज्यों में अधिक पाया जाता है अर्थात् देश की कुल शहरी आबादी का लगभग 45 प्रतिशत दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में रहती है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। आने वाले वर्षों में युवा और कामकाजी आबादी एक राज्य से दूसरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में पलायन करेगी, जिससे शहरी आबादी में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि इन शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच कैसे सुनिश्चित हो सकती है। इसके लिए शहरी नीति नियोजन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में भारतीय कार्यशील जनसंख्या का कौशल विकास करना प्रमुख है। सरकार ने 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और धन उपलब्ध कराना है।
- सरकार के अन्य पहलों में स्टार्टअप इंडिया और स्टैण्डअप इंडिया शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और एक कौशल युक्त पारिस्थितिकी तंत्र शुरू करना है जो सार्थक रोजगार प्राप्त करने में मदद कर सके।
- इसी प्रकार सरकार ने कम उम्र के छात्रों के लिए अटल नवाचार मिशन की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6 से 12 तक) को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- पहले से अर्जित कौशल को पहचानते हुए, वयस्क शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, दोपहर का भोजन (Mid-day meal) तथा पोषण अभियान आदि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।
- इसी तरह सरकार ने महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों का मुख्य फोकस कौशल विकास है। जैसे- अभिनव और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना, वेतन और लिंग असमानता में व्याप्त अंतर को कम करना, कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना आदि।

चुनौतियाँ

अन्य देशों विशेष रूप से विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या की बढ़ती उम्र के कारण विकासशील देशों में अधिक नौकरियाँ सृजित होंगी, जिनको आउटसोर्स किया जाएगा और जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण भारत को इससे अधिक लाभ मिलेगा। हालाँकि लाभ लेने के लिए भारत के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- भारत में बढ़ता कार्यशील जनसंख्या अनुपात सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब सरकार इस कामकाजी उम्र की आबादी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सक्षम हो।
- भविष्य में पैदा होने वाली अधिकांश नई नौकरियों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक गंभीर चुनौती है।
- भारत की उच्च शिक्षा में भी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे- उच्च गुणवत्ता वाले संकायों की कमी, खराब बुनियादी संरचनाएँ तथा अच्छे नियमन की कमी।
- भारतीय उच्च शिक्षा में जितनी समस्याएँ हैं उससे ज्यादा समस्याएँ प्राथमिक शिक्षा में हैं। चूंकि एक अच्छी नींव के बिना, बाद की शिक्षा प्रभावी साबित नहीं हो सकती है। यही स्थिति व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी है।
- प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण की गंभीर समस्याएँ हैं जो शिक्षा की प्रभावशीलता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट (HDR) के अनुसार भारत अभी भी चीन, श्रीलंका, थाईलैण्ड, फिलीपींस, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ तक कि वियतनाम की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। इसलिए भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है ताकि बढ़ती कार्यशील जनसंख्या को दक्ष और कुशल बनाया जा सके।
- भले ही हमारे देश में कार्यशील उम्र की आबादी बढ़ रही हो, लेकिन यह पूरी तरह श्रमबल में परिवर्तित नहीं होगी। इसके कारणों में एक है श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी का कम होना। विश्व बैंक द्वारा 2004-05 और 2011-12 के बीच किये गये अध्ययन के मुताबिक, इस अवधि में महिला श्रमबल की भागीदारी (एफएलएफपी) दर महज 27 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि में चीन में यह भागीदारी दर 63.9 प्रतिशत थी। चूंकि

भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या 48% है, ऐसे में, कार्यबल में उनकी कम भागीदारी का होना, कुल श्रमबल के औसत उत्पादन पर नकारात्मक असर डालता है।

- जनसांख्यिकीय लाभांश की बेहतर स्थिति के बीच चिंता का विषय यह है कि देश में 21-35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ आबादी ऐसी है, जिसके पास कोई कौशल क्षमता नहीं है या कम कौशल क्षमता है, लिहाजा वे अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त साबित हो रहे हैं।

आगे की राह

संक्षेप में भारतीय राज्यों के मध्य जनसांख्यिकीय विचलन परिलक्षित हो रही है। इसे एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि इसे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए नीति निर्माताओं का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और लाभकारी रोजगार पर होना चाहिए।

- निष्कर्षत: अलग-अलग वर्गों के इन राज्यों की आयु तथा लैंगिक संरचना के अनुसार उनके लिए तदनुकूल सामाजिक-आर्थिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि यूएनएफपीए भी राज्यों की इन विशेषताओं के अनुरूप नीति निर्माण तथा कार्यक्रम की वकालत करता है।
- उदाहरणस्वरूप उन राज्यों के लिए जहाँ अब जनसांख्यिकीय लाभांश समाप्ति की कगार पर है, वहाँ बढ़ती आयु तथा प्रवासी हितैषी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- वैसे राज्यों के लिए जहाँ जनसांख्यिकीय लाभ अभी आगे मिलने वाला है, वहाँ तीन बातों पर बल देना होगा पहला- बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश, दुसरा- युवाओं को स्वास्थ्य तथा शिक्षा, तीसरा- व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- कामकाजी जनसंख्या (महिला व पुरुष दोनों) के पूर्ण योगदान के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। बिना मानव पूंजी में निवेश के जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। अत: मानव पूंजी में निवेश करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह स्थिति भविष्य में आर्थिक व सामाजिक अंतर को बढ़ाने का काम करेगी, जो देश की प्रगति में बाधक सिद्ध होगी।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी खत्म करने तथा अधिक समावेशी समाज के निर्माण में मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव पूंजी आज भारत की संपदा का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक है।
- इस पूंजी का लाभ उठाने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में तेज गति से काम करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

2. भारत में लोकपाल: एक लम्बा सफर बाकी

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (पी.सी.घोष) को राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'चयन समिति' (Selection Committee) ने लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों का चयन करके नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास नाम भेजे थे, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है।

परिचय

लोकपाल एक 'भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण' (Anti-corruption Authority) है जिसे ओम्बुड्समैन (Ombudsman) भी कहा जाता है। यह भ्रष्टाचार एवं अन्य जन शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। भारत में केन्द्र स्तर पर इस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का नाम लोकपाल है और राज्य स्तर पर इस संस्था का नाम लोकायुक्त है। दूसरे शब्दों में, भारत में ओम्बुड्समैन के मॉडल को लोकपाल व लोकायुक्त की संज्ञा दी जाती है और इसके लिए 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' को भी निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त को मुख्यत: भ्रष्टाचार निवारण तंत्र के रूप में निर्मित किया किया गया है न कि जनता की शिकायतों के निवारण के संदर्भ में।

लोकपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से ग्रहण की गई है।
- ओम्बुड्समैन की तर्ज पर 'लोकपाल' शब्द को 1963 में डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था।
- संसद में सर्वप्रथम लोकपाल से संबंधित विधेयक लोकसभा सदस्य शांति भूषण द्वारा प्रस्तावित किया गया।
- लोकपाल शब्द की उत्पति संस्कृत शब्दों 'लोक' (लोग) तथा 'पाल' (रक्षक) से हुई है, जिसका अर्थ है 'लोगों का रक्षक'।
- देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की तरह ही लोकपाल को भी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

पृष्ठभूमि

जन शिकायत निवारण तंत्र की अवधारणा स्वीडन में विकसित हुई। सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ओम्बुड्समैन अधिकारी, विधायिका की ओर से जनता की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनका निराकरण करता है। इस पैटर्न पर विश्व के 40 से अधिक देशों ने जन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना अलग-अलग रूपों में की है, जैसे- ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमिश्नर, फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय एवं पूर्व सोवियत संघ में प्रॉक्यूरेटर की अवधारणा इत्यादि।

भारत में ओम्बुड्समैन के सदृश लोकपाल के पद के सृजन के लिए किए जा रहे प्रयासों का इतिहास कई वर्ष पुराना है। आजादी के बाद ही देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की माँग उठने लगी थी। इसकी स्थापना के लिए एम.सी. सीतलवाड़, एल.एम. सिंघवी एवं अनेक अन्य कानूनविदों तथा सांसदों के साथ-साथ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 ई.) ने भी पुरजोर वकालत की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र स्तर पर लोकपाल के साथ-साथ राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की संस्तुति भी की थी।

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम

1968 ई. में लोक सभा में पेश हुआ और वहाँ से पारित होने के बाद राज्य सभा में भेजा गया। परंतु, लोक सभा के दिसम्बर, 1970 में विघटन के कारण यह राज्य सभा में पारित हुए बिना व्यपगत (Lapsed) हो गया। इसके बाद यह बिल 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 में लोक सभा में पेश हुआ पर हर बार लोकसभा के विघटन या अन्य कारणों से यह विधेयक व्यपगत हो गया।

सन् 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को लोकपाल एवं लोकायुक्तों की नियुक्ति शीध्र करनी चाहिए, ताकि शीर्ष स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, लेकिन सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को भी ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इस प्रकार, कई बार संसद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक के व्यपगत होने और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा अनसुना कर देने से जनता सन् 2011 में आंदोलित हो गयी। सन् 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लगभग पूरे देश ने भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र (लोकपाल व लोकायुक्त) को कानूनी रूप से गठित करने हेतु माँग की। अन्ततः सन् 2013 में केन्द्र सरकार ने 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' को पारित किया।

ब्रिटेन का पार्लियामेंटरी कमिश्नर

यह जनता के शिकायतों को दूर करने की एक प्रभावी एवं जवाबदेह व्यवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सीधे पालियामेन्टरी कमिश्नर को नहीं भेजता बल्कि यहाँ 'एम.पी. फिल्टर सिस्टम' (M.P. Filter System) प्रचलित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के सांसद को सौंपता है और वह शिकायत दूर करने का प्रयत्न करता है। यदि वह इस प्रयत्न में असफल रहता है तो की गई संपूर्ण कार्यवाही सहित इसकी सूचना पार्लियामेन्टरी कमिश्नर को भेजता है और यह उस शिकायत का अंतिम समाधान करता है तथा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश ताज/संसद को सौंपता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

केन्द्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्तों द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित जाँच कराने हेतु 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

- यह अधिनियम कहता है कि केन्द्र स्तर पर एक लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्तों का गठन किया जायेगा।
- लोकपाल की संस्था में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें आधे सदस्य (अर्थात् 4 सदस्य) न्यायिक क्षेत्र से होंगे और शेष आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।
- लोकपाल संस्था के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिन पर नियुक्ति की अंतिम मुहर राष्ट्रपति की होगी।
- लोकपाल सभी लोक सेवकों की जाँच कर सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल की जाँच के दायरे में होगा, लेकिन बहुत सारे विषयों में वे (प्रधानमंत्री) लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उपबंध यह भी है कि अभियोजन (Prosecution) के लंबित होने की स्थिति में भी आरोपित लोकसेवक द्वारा भ्रष्ट साधनों से एकत्रित की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश लोकपाल दे सकता है।
- सभी संगठन या तत्व जो फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट (एफ.सी.आर.ए.) के तहत विदेशी स्रोतों से दान या सहायता राशि प्राप्त करते हैं; उन्हें भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है (यदि ऐसी सहायता राशि प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से ऊपर हो तो)।
- लोकपाल संस्था के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण दिए जाने का भी प्रावधान है।
- लोकपाल स्वयं द्वारा प्रेषित किए गए मुद्दे की जाँच कराने के क्रम में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य जाँच एजेंसियों का अधीक्षण करने एवं उन्हें निर्देश देने की शक्ति से भी युक्त होगा। साथ ही, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या अन्य जाँच एजेंसियों के वैसे अधिकारी जो लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जाँच कर रहे हों, तो उनका स्थानान्तरण लोकपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है।
- अधिनियम प्रारम्भिक जाँच, पड़ताल और अभियोजन के लिए निश्चित समयावधि (6 माह) निर्धारित करता है और इसके लिए विशेष न्यायालयों के गठन का भी उपबंध करता है। प्रारंभिक जाँच, पड़ताल और अभियोजन की निर्धारित समयावधि को 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है (यदि समुचित कारण उपलब्ध हो तो)।
- विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से 365 दिनों के भीतर राज्य विधायिकाओं को भी विधि द्वारा लोकायुक्त की संस्था का गठन करना होगा।
- लोकपाल संस्था के प्रशासकीय व्यय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समान होंगी एवं अन्य सदस्यों के वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी।
- इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जो भी लोक सेवक किसी सार्वजनिक संस्था में भ्रष्टाचार को उजागर करता है अर्थात् व्हिसलब्लोअर की भूमिका को निभाता है, उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाये।
- यदि लोकपाल को पहली नजर में यह लगता है कि कोई भी लोक सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वह उसे समन जारी कर सकता है, चाहे उस लोक सेवक के खिलाफ जाँच प्रारंभ हुई हो या नहीं।

लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया

केन्द्र स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति के लिए दो समितियों की मुख्य भूमिका है-

- चयन समिति (Selection committee)
- सर्च समिति (Search Committee)

सर्च समिति को चयन समिति की सहायतार्थ हेतु गठित किया गया है। सर्च समिति का दायित्व है कि वह लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के नामों को खोजकर चयन समिति को सौंपे। इसके बाद चयन समिति इन नामों से चुनाव करके अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजती है।

- **सर्च समितिः** वर्तमान में इसके आठ सदस्य हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से आधे सदस्य अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं।
- **चयन समितिः** इस समिति में एक अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) और चार सदस्य होते हैं। चार सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनके द्वारा नामित किये गए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश और

उक्त चारों के द्वारा संस्तुत कोई प्रख्यात विधि वेत्ता, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सन् 2013 के बाद की स्थिति

सन् 2013 में 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम' बनने के बाद सरकार की तरफ से इसे व्यवहार में स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास नहीं किये गये। शुरु में सरकार ने एक सर्च कमेटी का गठन किया, जिसे लोकपाल व उसके सदस्यों के नाम सुझाने का दायित्व था, लेकिन सर्च कमेटी के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने से मना कर दिया और कहा कि इस सर्च कमेटी को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है।

सन् 2014 में नई सरकार के गठित होने पर सर्च कमेटी के उपर्युक्त मुद्दों का हल ढूँढा गया और सर्च कमेटी को पर्याप्त स्वतंत्रता व शक्ति प्रदान की गयी। लेकिन इसके बाद से नई समस्याओं ने जन्म लिया जो चयन समिति से संबंधित थी। चयन समिति में 'लोकसभा में विपक्ष का नेता' के रूप में सदस्य नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सन् 2014 के आम चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं हासिल की थीं कि वह 'लोकसभा में विपक्ष का नेता' का दर्जा हासिल कर सके। सन् 2015 में संसदीय समिति की रिपोर्ट आई कि 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' में संशोधन करके यह जोड़ा जाये कि चयन समिति में सदस्य के रूप में 'लोकसभा में विपक्ष का नेता' या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता (चाहे उसे लोकसभा में विपक्षी पार्टी बनने का अवसर मिला हो या नहीं), दोनों में से कोई भी शामिल हो सकता है। लेकिन सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश को ठण्डे बस्ते में डाल दिया, जिससे लोकपाल का व्यावहारिक धरातल पर गठन मुश्किल हो गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए सन् 2017 में 'कॉमन कॉज' (Common Cause) नामक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल के गठन को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह सर्च कमेटी का जल्द से जल्द गठन करे, ताकि लोकपाल के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काई ध्यान नहीं दिया तो फिर से कॉमन कॉज सुप्रीम कोर्ट पहुँची और कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश की अवेहलना कर रही है तथा लोकपाल के गठन के संदर्भ में किसी भी तरह का प्रयास नहीं कर रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सर्च कमेटी और लोकपाल के गठन के लिए समय सीमा निश्चित की। सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के पहले ही सर्च कमेटी ने लोकपाल के नामों के सुझाव चयन समिति के पास भेज दिये और अंततः लोकपाल का गठन हो गया।

चुनौतियाँ

- कुछ विद्वानों का कहना है कि लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिससे इसके गठन में काफी विलम्ब हो जाता है, जैसे-'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के आने के लगभग 5 साल बाद लोकपाल का गठन हो पाया।
- उपर्युक्त तथ्य के विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सही है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के आने के बाद लोकपाल के गठन में लगभग 5 साल लग गये, जो किसी भी शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थित नहीं है, किन्तु लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था की जल्दबाजी में गठन करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि यह बड़े-बड़े उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की गड़बड़ियों की त्वरित जाँच करेगा।
- कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत में 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' और लोकपाल के व्यावहारिक गठन, दोनों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का भारी अभाव रहा है क्योंकि 2011 में भारी आंदोलन के बाद अधिनियम आया और संसद ने उसमें भी कई बार संशोधन किये, किन्तु अंततः सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लोकपाल का गठन हो पाया। उल्लेखनीय है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति किसी भी संस्था की सफलता के लिए धुरी का कार्य करती है।
- 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के आने के बाद विभिन्न राज्यों ने लोकायुक्तों का गठन किया किन्तु अभी तक संबंधित राज्यों में भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है। कुछ आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों या मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार में कमी आने की बात तो दूर है, उल्टे इनके भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी हुई है। हम जानते हैं कि केन्द्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु अनेक जाँच एजेंसियाँ (सीबीआई, सीवीसी, ईडी, इत्यादि) हैं और न्यायालय भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी भ्रष्टाचार देश के प्रशासनिक ढाँचे में जड़ जमाये बैठा है। इस स्थिति में लोकपाल से बहुत ज्यादा उम्मीद उचित नहीं प्रतीत होती। इसके अलावा, अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की तरह लोकपाल को भी पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी गईं हैं, जिससे यह व्यावहारिक धरातल पर दंतहीन-नखहीन व्याघ्र और विषहीन सर्प की तरह साबित हो सकता है।
- अंदेशा यह भी है कि अन्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की तरह लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था में सरकार अपनी विचारधारा से संबंधित लोगों को बैठा सकती है, जो सरकार के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने से हिचकेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर टिप्पणी को देखा जा सकता है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि वह सरकार की पपेट (Poppet) है अर्थात् जो सरकार चाहती है वही सीबीआई बोलती है।

आगे की राह

उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को त्वरित गति व प्रभावी रूप से हल करने एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए लोकपाल व लोकायुक्त महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, अतः केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इन्हें मजबूत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। अभी लोकपाल का गठन हुआ है, जिसको व्यावहारिक धरातल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लम्बी लड़ाई लड़नी है, इसलिए समय के अनुसार एवं जरुरत के मुताबिक 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' में उपयुक्त संशोधन होते रहने चाहिए ताकि इस महत्वपूर्ण संस्था की प्रासंगिकता बरकरार रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन का वीटो

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) में जैश-ए-मुहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने एक बार फिर वीटो (Veto) किया है। यूएनएससी की '1267 प्रतिबंध समिति' के समक्ष मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने हेतु फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर प्रस्ताव रखा था किंतु चीन ने तकनीकी कारण का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया है।

परिचय

मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए भारत पिछले काफी समय से प्रयासरत रहा है। हाल ही में पुलवामा हमले के बाद भारत ने जैश-ए-मुहम्मद के सरगना पर प्रतिबंध लगाने हेतु कई देशों को डोजियर (Dossier) सौंपे थे। भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार स्थाई सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, ब्रिटेन और रूस) और 9 अस्थाई सदस्य हैं, किंतु चीन ने पहले की ही तरह इस बार भी मसूद अजहर को बचाने के लिए वीटो किया है। यह चौथी बार है जब चीन ने इस सम्बन्ध में वीटो का इस्तेमाल किया है। अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह संदेश दिया है कि वह दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को नाखुश करने का जोखिम नहीं ले सकता है। चीन का वैश्विक आतंकवाद के प्रति नजरिया क्षेत्रीय आतंकवाद (मुख्यत: दक्षिण एशिया के संदर्भ) से अलग है। चीन की इस तरह की रणनीति से भारत के साथ-साथ पश्चिमी शक्तियाँ भी काफी नाखुश हैं। फ्राँस ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि चीन अपना नजरिया नहीं बदलता है तो मसूद अजहर के सम्बन्ध में अन्य विकल्प भी अपनाये जा सकते हैं। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को लेकर रूस का भी समर्थन है, लेकिन उसने अभी तक इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं की है।

वीटो शक्ति (Veto Power): वीटो का शब्दिक अर्थ 'अनुमति नहीं देने' से है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच स्थाई सदस्य हैं, जिनके पास वीटो शक्ति है। परिषद में अगर किसी प्रस्ताव पर कोई भी स्थाई सदस्य असहमत है तो वह वीटो की शक्ति का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी): यह संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना है। यूएनएससी में पाँच स्थाई सदस्य तथा 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। स्थाई सदस्य कभी नहीं बदलते हैं, जबकि अस्थाई सदस्य निश्चित समयांतराल में बदलते रहते हैं। अस्थाई सदस्य को दो वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है।

जैश-ए-मुहम्मद: यह पाकिस्तान में स्थित एक आतंकी संगठन है, जिसका मुखिया मसूद अजहर है। भारत में ज्यादातर होने वाली आतंकी घटनाओं को यही संगठन अंजाम देता है। पुलवामा हमला, सन् 2008 में मुम्बई पर आतंकी हमला, पठानकोट हमला और उड़ी हमला आदि के पीछे 'जैश-ए-मुहम्मद' नामक आतंकी संगठन का हाथ है। पाकिस्तान अपनी नीति 'एक हजार कट के साथ ब्लीड इंडिया' (Bleed India with a Thousand Cuts) के तहत इन आतंकी संगठनों को पोषित करता है।

यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों की '1267 प्रतिबंध समिति' को 1999 में 1267वें संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया था। यह समिति ऐसे संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का फैसला लेती है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस सूची के तहत आने वाले संगठन या व्यक्ति को निम्नलिखित तीन प्रकार के वैश्विक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है-

1. सूची में शामिल व्यक्ति या संगठन की हर प्रकार की सम्पत्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जब्त कर लेते हैं, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) में शामिल देश प्रतिबंधित संगठन या व्यक्ति की अपने यहाँ मौजूद चल या अचल हर प्रकार की सम्पत्ति को फ्रीज (Freeze) कर देते हैं।
2. प्रतिबंधित सूची में शामिल संगठन या व्यक्ति किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई भी देश उन्हें वीजा उपलब्ध नहीं कराता है।
3. कोई भी देश इन प्रतिबंधित संगठन या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सहायता (यथा- हथियार, प्रौद्योगिकी या वित्तीय सहायता आदि) नहीं दे सकता है।

चीन का दृष्टिकोण एवं भारत

सन् 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद में गहरे मतभेद उभरकर सामने आये थे। इसके बाद वुहान (चीन) में दोनों देशों के प्रमुखों की अनौपचारिक वार्ता के बाद लगने लगा था कि भारत और चीन के बीच सम्बन्ध प्रगति पर हैं, किंतु हाल के प्रकरण से स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच सबकुछ सामान्य नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन, भारत की 'सीमा पार आतंकवाद' (Cross Border Terrorism) की चिंताओं के प्रति गंभीर नहीं है। चीन, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए अपर्याप्त सुबूतों की बात करता है, किंतु रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि निष्पक्ष भाव से देखें तो मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के पर्याप्त सुबूत हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का संदेह या तकनीकी समस्या गैर वाजिब है। अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने हेतु निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं-

1. 1999 में जैश-ए-मुहम्मद के सरगना 'मसूद अजहर' को छुड़वाने हेतु आतंकियों ने नेपाल से लगभग 180 यात्रियों से भरे विमान को अपहरण किया था और अफगानिस्तान के कंधार ले गये थे। इसे 'कंधार विमान कांड' के नाम से भी जाना जाता है।
2. मसूद अजहर, जिस आतंकी संगठन का मुखिया है उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है।
3. मसूद अजहर द्वारा अलकायदा से भी वित्त प्राप्त करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

इस बार भी भारत ने उपर्युक्त तथ्यों/साक्ष्यों के अलावा भी कई अन्य साक्ष्य चीन को सौंपे थे और भारत की विदेश नीति के अधिकारियों ने विशेष तौर पर चीन का समर्थन हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन चीन ने अपने रुख (Stand) को नहीं बदला जो काफी दुखदायक है।

भारत सरकार के प्रयास का मूल्यांकन

रक्षा से जुड़े कुछ जानकारों का मानना है कि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकी घोषित होने से भारत को बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। यूएनएससी द्वारा किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद उस व्यक्ति के सभी बैंक खातों को यूएनओ (संयुक्त राष्ट्र संघ) के सदस्य देश फ्रीज (Freeze) कर देते हैं, लेकिन मसूद का अभी कोई भी बैंक खाता पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश में नहीं है। प्रतिबंध के बाद यदि उसे पाकिस्तान में बैंक खाते का प्रयोग करना भी हुआ तो वह किसी अन्य छद्म नाम से सेवा का लाभ उठा सकता है और पाकिस्तान उसे ऐसा करने की पूर्ण अनुमति भी देगा क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को हर मुमकिन तरीके से पालने-पोषने में लगा हुआ है।

मसूद अजहर को यूएनएससी द्वारा विभिन्न देशों की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया तो इसका असर भी बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि मसूद अजहर अभी किसी देश में यात्रा नहीं करता है, वह वर्षों से पाकिस्तान में ही रह रहा है और भविष्य में उम्मीद भी नहीं है कि वह किसी अन्य देश की यात्रा करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अजहर पर प्रतिबंध लगने पर एक फायदा यह भी गिना जाता है कि अजहर विदेशों (मुख्यत: मुस्लिम देशों) से किसी व्यक्ति या संगठन से किसी भी प्रकार का धन प्राप्त नहीं कर पायेगा, लेकिन इसके विपक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि अजहर आतंकी गतिविधियों के लिए अभी जो धन प्राप्त करता है वह बहुत ही गोपनीय तरीके से अवैध रूप से प्राप्त करता है। इसलिए इस प्रावधान से भी अपेक्षानुरूप लाभ नहीं होने वाला है।

दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे-

- ओसामा-बिन-लादेन के वैश्विक आतंकी घोषित होने से अमेरिका को उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने की वैधानिकता प्राप्त हो गई थी, इसलिए अमेरिकी नेवी सील कमांडो के द्वारा पाकिस्तान के अंदर लादेन को मारने पर पाकिस्तान या अन्य देश विरोध या आलोचना नहीं कर पाये थे। जब मसूद अजहर वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल हो जायेगा तो भारत को भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की वैधानिकता मिल जायेगी।
- अजहर के आतंकी घोषित होने से पाकिस्तान में उसकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान यूएनओ का सदस्य देश है और वह संयुक्त राष्ट्र परिषद की प्रतिबंध शर्तों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है।
- पाकिस्तान को एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स) की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में शामिल कराने में मदद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान में विदेशी निवेश कम आयेगा और वह अपनी 'आतंकवाद की नीति' को वित्तपोषित करने में चुनौतियों का सामना करेगा।
- मसूद के वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल होने से पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ेगा तथा भारत कूटनीतिक रूप से मजबूत होगा।
- मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने से पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और वहाँ स्थित आतंकियों का मनोबल गिरेगा तथा पाकिस्तान की सरकार आतंकियों पर कार्रवाई करने हेतु मजबूर भी हो सकती है।

चीन द्वारा वीटो का इस्तेमाल क्यों

विद्वानों का मानना है कि चीन, अजहर को बचाने के पीछे जो तर्क देता है वह दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा है, चीन द्वारा वीटो के इस्तेमाल के पीछे असली वजहें कुछ और ही हैं-

- चीन के कई आर्थिक और भू-सामरिक हित पाकिस्तान से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 'बीआरआई' (बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव) का विवादित हिस्सा सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था की मदद करने के बजाय चीन के भू-सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति करती हुई प्रतीत होती है। सीपीईसी की ढाँचागत परियोजनाएँ झिंजियांग के काशगर को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती हैं, जिससे चीन को अपने ऊर्जा आयातों के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक आसान पहुँच उपलब्ध होती है। सीपीईसी सँकरे मलक्का जलडमरूमध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरने वाले परम्परागत मार्ग पर चीन की निर्भरता में काफी कमी लाता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान, चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए चीन हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान व उसकी नीति का समर्थन करता है।
- चीन, अफगानिस्तान में भारत की गतिविधियों को लेकर भी सशंकित है। चीन को लगता है कि यदि भारत के प्रभाव को अफगानिस्तान में सीमित करना है तो पाकिस्तान की भारत के प्रति नीति को जीवित बनाये रखना होगा।
- चीन को पाक समर्थित आतंकवाद से सिर्फ भारत को ही नुकसान होने का अंदेशा है न कि क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के भंग होने का खतरा है।
- चीन, भारत को छोटी-छोटी दिक्कतों में उलझाये रखना चाहता है ताकि एशिया में उसे कोई भी चुनौती न प्रदान कर सके।
- चीन, पाकिस्तान को किसी भी हाल में असंतुष्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में चीन का काफी निवेश है और पाकिस्तान चीन का पुराना साथी है।
- चीन, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक 'रणनीतिक हथियार' (Strategic Weapon) के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

चीन के वीटो के बाद उभरने वाले मुद्दे

- पूरी दुनिया जब एक स्वर में आतंकवाद के हर रूप की आलोचना कर रही है तो चीन द्वारा इस मुहिम पर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चिंताजनक है। आतंकवाद और पर्यावरण जैसी चुनौतियाँ आज किसी एक देश की नहीं है बल्कि इनका स्वरूप वैश्विक हो चुका है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में शामिल देशों की पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में जब कोई एक देश संकुचित मानसिकता के साथ अपने हितों से प्रेरित कूटनीति को अपनाता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की साख व प्रासंगिकता गिरने के साथ-साथ विश्व में अनिश्चितता का माहौल पैदा होता है।
- एशिया में चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन मसूद अजहर पर वीटो का इस्तेमाल काफी निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न करता है और चीन की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है।
- 'अच्छे आतंकवाद' और 'बुरे आतंकवाद' का चीन द्वारा विभेद किया जाना न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा बल्कि यह पूरे एशिया को अस्थिर करेगा।
- भारत और चीन के मध्य काफी ज्यादा व्यापार होता है, जिसका अधिकतर फायदा चीन को ही पहुँचता है। यदि चीन व भारत के सम्बन्धों में किसी भी तरह की खटास आई तो व्यापार पर असर पड़ना स्वाभाविक है, जिससे भारत की अपेक्षा चीन को ज्यादा घाटा होगा।
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO), पश्चिम में नाटो की तरह पूर्व में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध संगठन है और इस संगठन में चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों ही देश सदस्य हैं। एक तरफ तो एससीओ के माध्यम से ये तीनों देश वैश्विक शांति व स्थिरता की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ चीन व पाकिस्तान की जुगलबंदी आतंकवाद को बढ़ावा देकर इस शांति व स्थिरता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में विरोधाभास को जन्म देती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यों को वीटो शक्ति उपलब्ध कराने के पीछे वैश्विक हितों को परिरक्षित करने के लिए सामूहिकता का भाव अपनाने का दृष्टिकोण था, किंतु कुछ देशों ने इसे अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है।

सुझाव

- यदि भारत चाहता है कि चीन आतंकवाद के अपने संकुचित दृष्टिकोण में बदलाव लाये, तो इसके लिए भारत चीन को कुछ प्रलोभन (Incentives) दे सकता है जो आर्थिक, कूटनीतिक एवं अन्य किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। कुछ कूटनीतिज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा चीन को प्रलोभन एक सीमा से ऊपर नहीं प्रदान करना चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर पर प्रतिबंध से भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और चीन पर दबाव बनाना चाहिए कि वह भी आतंकवाद पर 'जीरो टालरेंस' (Zero Tolerance) की नीति अपनाये। इसके अलावा भारत वैश्विक समुदाय का ध्यान इस तरफ खीचें कि चीन किस प्रकार से तकनीकी खामी का बहाना बनाकर बार-बार अजहर के पक्ष में वीटो पॉवर का इस्तेमाल कर रहा है।
- भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सुधारों के प्रति ध्यान आकर्षित करना होगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रति सुझाए गए हैं। इन सुझावों में वीटो शक्ति के इस्तेमाल को सीमित करने के प्रावधान दिये गये हैं।

आगे की राह

भारत द्वारा जैश-ए-मुहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल कराना एक प्रतीकात्मक (Symbolic) प्रयास होने के बावजूद काफी महत्वपूर्ण है। भारत का यह प्रयास आतंकवाद के प्रति जीरो टालरेंस की नीति को प्रदर्शित करता है और आतंकवाद के हर रूप को विश्व के प्रत्येक कोने से उन्मूलित करने की इच्छाशक्ति को भी दर्शाता है। भारत को लाइक माइन्डेड (Like Minded) और समान हितों को रखने वाले देशों व संगठनों के साथ मिलकर आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रयास करना होगा, जिसमें 'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल' (एफएटीएफ) जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना होगा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ सशस्त्र कार्रवाई की ही जरूरत नहीं होती है बल्कि इसे वैचारिक रूप से भी पराजित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. भारत में श्रम बल का बढ़ता संविदाकरण

चर्चा का कारण

पिछले कुछ समय से श्रमिक सुधार कानून का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है जिसकी तरफ हाल ही में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ASI) से संबंधित आंकड़ों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गत् वर्षों में अनुबंध कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि कुल रोजगार में अनुबंध कर्मचारियों की हिस्सेदारी 2000-01 में 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 27.9 हो गई जबकि इसके विपरीत सीधे तौर पर काम पर रखे गए श्रमिकों का हिस्सा उसी अवधि में 61.2 प्रतिशत से गिरकर 50.4 प्रतिशत हो गया है।

परिचय

किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी वहाँ के श्रमिक होते हैं। दरअसल श्रम शक्ति ही अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। ऐसे में श्रमिकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही यह सुरक्षा प्राप्त हो पाती है।

हालाँकि देश में असंगठित क्षेत्र की स्थिति में बदलाव तो आया है साथ ही रोजगार और कौशल भी बढ़ा है लेकिन इसकी प्रवृत्ति अस्थायी है जिसे संगठित क्षेत्र की तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। विदित हो कि रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 8 फीसदी कामगारो को ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाता है।

संविदा श्रम क्या है

संविदा श्रम का अर्थ है प्रयोक्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम में लगाए गए कामगार। ये

कामगार आमतौर पर कृषि क्षेत्र, निर्माण उद्योग, पत्तन और ऑयल फील्ड कारखानों, रेलवे, नौवहन एयरलाइनों, सड़क परिवहन इत्यादि में लगाए जाते हैं।

जहाँ तक भारत में संविदा श्रम की शुरूआत का प्रश्न है तो इसके मूल में ब्रिटिशकालीन श्रम कानून अधिनियम को समाप्त करने की दिशा में किये गए प्रयास हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1950 में ऐसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि न तो राज्य की सहमति के बिना स्थायी श्रमिकों को काम से हटाया जाएगा और न ही कार्यस्थल को बंद किया जा सकेगा। यह नियम इतना अधिक लोकलुभावन था कि न तो कभी इसे लागू किया जा सका और न ही इसे कभी निरस्त किया जा सका। वस्तुत: इस नियम के संदर्भ में अनुबंध श्रम का उदय हुआ। इन समस्त बातों के मद्देनजर प्रबंधन द्वारा इसके तहत कम से कम स्थायी श्रमिक रखते हुए अधिक से अधिक कार्य ठेके पर कराने की व्यवस्था आरंभ की गई। ध्यान योग्य बात है कि इस निर्णय के मूल मे श्रमिक ही थे, अत: इसका कोई गंभीर विरोध नहीं किया गया।

ठीक इसी तरह स्थायी श्रमिकों द्वारा भी इस संबंध में कोई विरोध नहीं किया गया। दरअसल इसका कारण यह है कि अनुबंध श्रमिकों के रहने या न रहने से जब तक उनके हित और प्रतिभूति प्रभावित नहीं होते हैं तब तक उनके लिये चिंता की कोई बात नहीं है। हालाँकि पिछले कुछ समय से कुछ श्रमिक यूनियनों द्वारा अनुबंध श्रमिकों को स्थायी करने की मांग की गई है, विशेष रूप से स्टील और कोयला क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है।

संविदा श्रमिकों की समस्या

असंगठित क्षेत्र के कामगारों में संविदा श्रमिकों की स्थिति कहने को तो घरों में काम करने वाले सेवकों, बुनकरों तथा रेहड़ी व माल ढोने वालों से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन्हे कुछ समय के लिए निश्चित काम मिल जाता है लेकिन इन कामगारों की वास्तविक स्थिति दयनीय होती है। इन अनुबंध श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है-

दोयम दर्जे का व्यवहार

आज श्रम बाजार में नियमित एवं अनुबंध श्रमिक का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखता है। इन श्रमिकों के मजदूरी, सुविधाओं और सामूहिक मोल-भाव की क्षमता में फर्क होता है। संविदा श्रमिक को श्रमिक अनुबंधकर्त्ताओं (Labour Contractors) के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है तथा इन्ही ठेकेदारों के द्वारा उन्हें वेतन का भुगतान भी किया जाता है, जिस कारण संविदा श्रमिकों को नियोक्ता न तो अपना कर्मचारी मानते हैं और न ही उनके मसले पर ट्रेड यूनियन से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार होते हैं।

ट्रेड यूनियन अधिनियम और संविदा श्रमिक

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी श्रमिक ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 2(g) के सन्दर्भ में उस उपक्रम में कार्यरत सभी श्रमिकों, चाहे उनका नाम उस नियोक्ता की रोजगार-सूची में है अथवा नहीं, को ट्रेड यूनियन के सन्दर्भ में 'कामगार' के रूप में परिभाषित करती है।

संविदा श्रमिकों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्त संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान वेतन दिए जाने की बात करते हुए कहा कि 'संविदा श्रमिकों, अस्थाई श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों एवं अनौपचारिक श्रमिकों को 'समान कार्य के लिए समान वेतन' न देना उनका शोषण है और यह मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है।' सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का नियमित श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों, चाहे वे सार्वजानिक क्षेत्र से सम्बद्ध हों या फिर निजी क्षेत्र से, पालन नहीं किया जा रहा है व ऐसा होने की दूर-दूर तक संभावना भी नहीं दिख रही है क्योंकि ट्रेड यूनियन संविदा श्रमिकों की समस्या को लेकर उदासीन हैं।

अन्य चिंताएँ

ट्रेड यूनियन का कार्य स्थायी श्रमिकों को प्रबंधित करने से संबंधित है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वे यूनियन जो नियमित श्रमिकों के लिये बेहद उच्च मजदूरी की मांग करते हैं, अनुबंध मजदूरी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी पर सहमति व्यक्त करते हैं। जब यूनियन द्वारा ही न्यूनतम मजदूरी की मांग की जा रही हो तो नियोक्ता किसी भी स्थिति में अधिक भुगतान करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। कार्यस्थल पर कानूनी सुरक्षा का अभाव भी एक समस्या है।

सरकारी प्रयास

श्रम-सुधारों का मतलब श्रम-बाजार का विभाजन करते हुए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करना व दूसरी ओर उद्यमियों की चिंताओं का समाधान करते हुए उद्यमिता एवं निवेश के अनुकूल माहौल सृजित करना है, ताकि आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया त्वरित हो जिससे रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना को बल मिले।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है-

संविदा श्रम अधिनियम 1970: अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 को एक केंद्रीय कानून के रूप में लागू किया गया था। उसका उद्देश्य उन शर्तों को विनियमित करना है जिनके तहत ठेका मजदूर काम करते हैं। अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, ठेकेदारों को अब प्रत्येक परियोजना के लिये एक नए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

इस नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई ठेकेदार एक ही राज्य में तीन साल तक काम करना चाहता है तो उसे राज्य सरकार से परमिट लेना होगा। हालाँकि, ठेकेदार को जब भी किसी कंपनी से काम करने का आदेश प्राप्त होगा, तो उसे सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

इस अधिनियम को पूरे देश में संचालित सभी प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया था और केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र

में इसे लागू करने के लिए अधिकृत किया गया था। अधिनियम में श्रमिक वर्ग के शोषण को कम करने और अनुबंध के आधार पर कार्यरत मजदूरों द्वारा काम की परिस्थितियों में सुधार करने की परिकल्पना की गई है। मजदूरी की अदायगी और अन्य लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य ठेकेदार की होती है और उसके न होने पर मुख्य नियोक्ता की होती है। विदित हो कि अनुबंध श्रमिकों को समान कार्य सुरक्षा, क्षतिपूर्ति और संघ प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, जो कि स्थायी श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए), 1947 के माध्यम से दिया जाता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- भारत में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल एवं निपटान करने के लिए एक प्रमुख विधान है।
- इस अधिनियम को श्रम मंत्रालय द्वारा उसके औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह प्रभाग विवादों का निपटान करने के लिए संस्थागत ढाँचों में सुधार करने और औद्योगिक संबंधों से जुड़े श्रमिक कानूनों में संशोधन करने से संबंधित है।

सीआईआरएम

- सीआईआरएम श्रम मंत्रालय का एक संगठन कार्यालय है जिसे मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन के नाम से भी जाना जाता है।
- यह औद्योगिक संबंधों के निर्माण, श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने और केन्द्रीय क्षेत्र में व्यापार संघ की सदस्यता के सत्यापन आदि कार्य का अनुपालन करता है। यह निम्निलिखित कार्यों के माध्यम से सदभावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करता है जैसे-
  - केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की निगरानी करना।
  - विवादों का निपटान करने के लिए औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप के साथ-साथ मध्यस्थता एवं उनका समाधान करना।
  - हड़ताल और तालाबंदी को रोकने के लिए हड़ताल और तालाबंदी की संभावना की स्थिति में हस्तक्षेप करना।
  - इससे संबंधित व्यवस्थाओं और पंचाटों का कार्यान्वयन करना।

श्रम-सुधारों की दिशा में विधायी पहल

श्रम सुधारों की दिशा में स्वतंत्रता के पश्चात कई विधायी पहलें की गईं जिनमें से हाल ही में की गई पहल महत्वपूर्ण हैं। ज्ञातव्य हो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में आने वाले कामगारों के कल्याण के लिए श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 को कुछ समय पूर्व ही अधिनियमित किया। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के निर्माण की अनुशंसा पर बल देता है जिसे अमलीजामा पहनाने का कार्य राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का होता है।

उल्लेखनीय है कि इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए सरकार ने श्रम सुधारों का नया मसौदा वर्ष 2015 में रखा। विदित हो कि छह दशकों से चले आ रहे श्रम-कानूनों को निवेश एवं विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने वाला मानते हुए नए प्रस्तावित श्रम-कानूनों के जरिये कैबिनेट ने श्रम-कानूनों में कुल 54 संशोधनों को अनुमति देते हुए निवेश-अनुकूल वातावरण निर्मित करने की दिशा में पहल की है। प्रस्तावित कानून एक ही कानून के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम-1926 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम-1946 के समेकन की बात करता है। साथ ही, यह फैक्टरी एक्ट, 1948 अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961; संविदा श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम-1970 और श्रम-कानून अधिनियम, 1988 में संशोधन के द्वारा में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रस्तावित सुधारों के अंतर्गत 44 मौजूदा कानूनों को वेतन-भत्तों, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा-नियम और श्रम-संगठनों से संबंधित चार व्यापक संहिताओं में बाँटा जाएगा। प्रस्तावित बदलावों से छोटी कंपनियों के कामकाज को लचीला बनाने, छंटनी किए जाने वाले कार्मिकों को बेहतर हर्जाना देने, श्रम संगठनों को बेहतर प्रतिनिधित्व स्वरूप देने और न्यूनतम वेतन भत्तों का नया खाका तैयार करने में मदद मिलेगी।

स्मरणीय हो कि श्रम-सुधारों का नया मसौदा लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका है और इसे राज्यसभा से पारित किया जाना बाकी है, लेकिन श्रम-संगठनों के विरोध के मद्देनजर प्रस्तावित संशोधनों को विचारार्थ स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है।

प्रधानमंत्री श्रम धन योजना

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की शुरूआत की है। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिच होगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।

गौरतलब है कि इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद सामजिक सुरक्षा योजना है। केंद्र सरकार ने ।च्ल् को मई 2015 में शुरू किया था। इससे पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं थी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी श्रमिक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड का प्रावधान किया गया ।इस कोड के द्वारा फुटकर कामगारों से लेकर बड़ी कम्पनियों के कामगारों को चिकित्सा पेंशन की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। जिससे इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। ठीक इसी तरह न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करना, प्रसूति अवकाश की अवधि को बढ़ाना, सीजीएचएस की सुविधा, कार्य के दिन तय करना, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, संगठित, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना आदि श्रमिक सुधारों की दिशा में सरकारी जागरूकता को प्रकट करता है।

आगे की राह

भारतीय फर्मों द्वारा संविदा नियुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति रोजगार के लचीलेपन की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है। विकसित देशों में मध्यम आकार की फर्मों के लिए कर्मचारियों की नौकरी की आउटसोर्सिंग और फैलाव आम बात हो गई है। वर्तमान में चीन, बांग्लादेश, मिस्र, ब्राजील और कोलंबिया जैसे विकासशील देश भी लचीले

किराए पर श्रमिक लेने की अनुमति देने के लिए अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। गत समय से भारत में भी यह बदलाव देखा जा रहा है जो श्रमिको के हितों के अनुकूल नहीं साबित हो रहा है। अतः इस समस्या का जितनी जल्दी समाधान हो सके, किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सुनिश्चित किया जाए कि समान कार्य के लिए स्थायी एवं अनुबंध श्रमिकों की मजदूरी बराबर हो।
- वर्तमान में, संविदा कर्मचारी विनियमन इतना कमजोर और अप्रभावी है कि मौजूदा और आगे की नीतियों का कार्यान्वयन लगभग असंभव है। सरकार को संविदा श्रम कानून के प्रभावी विनियमन को सुनिश्चित करना चाहिए।
- श्रम के अनुबंध को समाप्त करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
- आवश्यकता इस बात की है कि इस अधिनियम को और अधिक सशक्त किया जाय जो समयानुकूल हो। इसके लिए सरकार को सावधानीपूर्वक योजना को चाक-चौबंद करना चाहिए, जिससे न केवल श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो, बल्कि लंबे समय में अनुबंध श्रम के क्रमिक और प्रभावी उन्मूलन को भी सक्षम बनाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. रात्रिकालीन वाणिज्यः भारत के लिए विकास का एक अवसर

चर्चा का कारण

फ्यूचर रिटेल ग्रुप और 7-इलेवन कम्पनी मिलकर इस साल भारत के विभिन्न शहरों में कई प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड स्टोर खोलने की योजना बना रही हैं। ज्ञातव्य है कि इन दोनों कम्पनियों ने मिलकर विश्व के लगभग 18 देशों में अपने स्टोर खोले हुए हैं, जो वहाँ दिन के 24 घण्टे खुले रहते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हालाँकि फ्यूचर रिटेल ग्रुप के संस्थापक और सीईओ किशोर बियानी का कहना है कि भारत के बड़े शहरों में रात्रिकालीन वाणिज्यिक सेवाएँ तो संभव हैं लेकिन देश के हर शहर में रात्रिकालीन वाणिज्य (Night-time Commerce) संभव नहीं है।

परिचय

भारत में 'रात्रिकालीन वाणिज्य' वाक्यांश का उल्लेख होने पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में रात्रिकालीन जीवन (Night life) का वह सकारात्मक पक्ष उभरकर सामने नहीं आता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में वृद्धि होती है, जैसे-बीपीओ, रिटेल शॉप, सिनेमा इत्यादि। रात्रिकालीन वाणिज्य से अकसर भारत में यही तात्पर्य लगाया जाता है कि रात्रि के समय वेश्यावृत्ति, डाँस बार, गैंगवार इत्यादि जैसी गतिविधियाँ ज्यादा घटित होती हैं।

पुलिस आमतौर पर कानून व्यवस्था का हवाला देकर रात्रिकालीन आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास करती है और खुदरा दुकानों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देर रात तक खोलने की अनुमति नहीं देती है। इसके अलावा, भारत की संस्कृति भी ऐसी है जिसमें रात्रि में विचरने वालों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सामाजिक कार्यकर्त्ता और नागरिक समाज आदि सभी निशाचर गतिविधियों को सामाजिक बुराइयों से जोड़कर देखते हैं और इनका कहना है कि रात्रिकालीन वाणिज्य अनैच्छिक शोर व उपद्रवी तत्वों को उभारकर सामने लाता है। इसलिए कुछ बड़े शहरों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में रात्रिकालीन आर्थिक गतिविधियाँ न्यूनतम हैं। बड़े शहरों में भी चुनिंदा आर्थिक गतिविधियाँ ही रात्रिकाल में संचालित होती हैं।

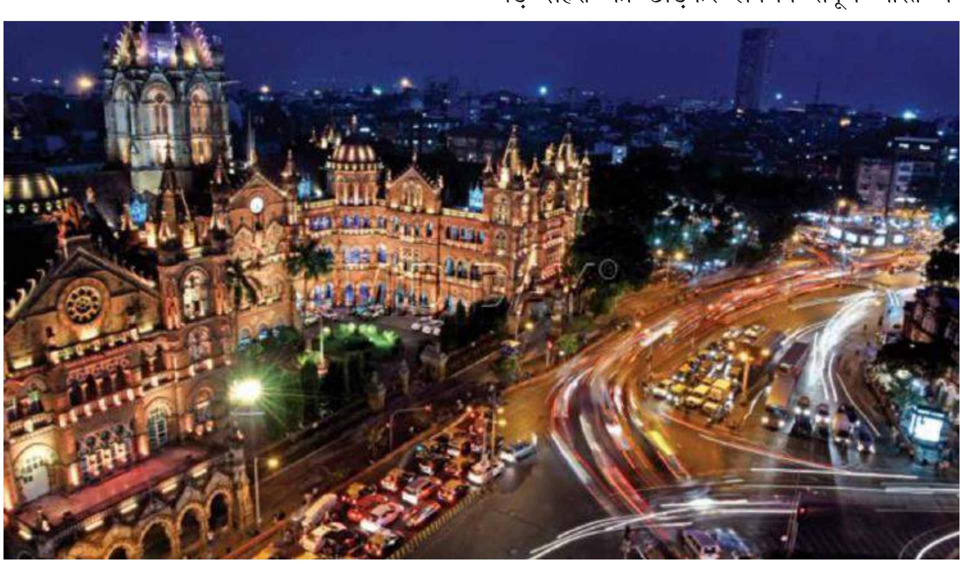

रात्रिकालीन वाणिज्य के समर्थकों का कहना है कि रात्रिकालीन गतिविधियाँ न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को त्वरण प्रदान करेंगी, बल्कि भारत में नए रोजगारों का सृजन करके बेरोजगारी की समस्या का हल भी प्रदान करेंगी। जब शहर अर्थव्यवस्था के इंजन हैं तो इनका फुल टाइम उपयोग करना अति आवश्यक है।

कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

लंदन के मेयर के कार्यालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन में 1.6 मिलियन लोग लंदन शहर के कुल रोजगार का लगभग एक तिहाई भाग ने वर्ष 2017 में रात्रि में कार्य किया। इनमें से 191,000 लोगों ने स्वास्थ्य, 178,000 ने पेशेवर सेवाओं और लगभग 168,000 ने नाइटलाइफ क्षेत्र (जैसे-डाँस बार आदि) में काम किया। इसके बाद परिवहन, आईटी और शिक्षा आदि क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहरों में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था के संचालक सिर्फ डाँस बार और रेस्तराँ ही नहीं हैं बल्कि दैनिक जीवन से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ भी अपनी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार, ब्रिटेन के प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्था में रात्रिकालीन वाणिज्य का 6% से 8% तक की हिस्सेदारी है और ब्रिटेन की कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 18 से 23 बिलियन पाउण्ड का योगदान है।

यह कहानी सिर्फ पश्चिमी विकसित देशों के शहरों, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के बाद अपने आपको विश्व पटल पर स्थापित किया है, की

ही नहीं है जो विकास के लिए रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं बल्कि इसमें दुनिया के अन्य शहर भी शामिल हो रहे हैं, जैसे सिंगापुर और चीन के शहर आदि। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में पिछले काफी समय से रात्रिकालीन वाणिज्य का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है और अब चीन ने भी इस अवसर के लाभ उठाने शुरू कर दिये हैं। चीन की सरकार ने फैसला किया है कि 2022 तक बीजिंग शहर में आधे से अधिक ऐसे रिटेलिंग स्टोर स्थापित किये जायें जो दिन के 24 घण्टे खुले रहें। इस प्रकार चीनी सरकार दिन के पूर्ण समय का उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर और नागरिकों के बीच वस्तुओं की खपत दर दोनों को बढ़ाना चाहती है।

भारतीय स्थिति और विश्लेषण

भारत में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था या वाणिज्य के अवसरों का एक मोटा अनुमान निम्नानुसार हो सकता है। भारत के शीर्ष 10 शहरों का देश की कुल जीडीपी (लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर) में लगभग 400 बिलियन डॉलर का योगदान है। यदि यह माना जाये कि रात्रिकालीन गतिविधियाँ इन 10 प्रमुख शहरों की कुल अर्थव्यवस्था में 6% अतिरिक्त का योगदान जोड़ देंगी, तो इन गतिविधियों से उत्पन्न राशि लगभग 24 बिलियन डॉलर की होगी जो देश की कुल जीडीपी में अतिरिक्त 0.8 प्रतिशत का योगदान होगा। उल्लेखनीय है कि जीडीपी वृद्धि का प्रत्येक प्रतिशत बिंदु (Percentage Point) लगभग 2 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम है। रात्रिकालीन वाणिज्य की यह क्षमता एक संसाधन की तरह है, जो भारत की विशाल आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर पहुँचा सकती है, यदि इस क्षमता की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक निष्फल संसाधन की तरह पड़ी रहेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक गतिविधियाँ रात्रि के समय में स्थानांतरित होती हैं तो इसका प्रमुख लाभ यह भी होगा कि दिन के समय में उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की माँग (Demand) को रात्रि के समय में स्थानांतरित किया जा सकता है, इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी बल्कि यातायात के भार को भी कम किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपभोक्ताओं की माँग का रात्रि काल में प्रतिस्थापन समग्र उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। गौरतलब है कि समग्र उत्पादन को नई आर्थिक गतिविधियाँ (जैसे-नए व्यवसायों की स्थापना आदि) बढ़ाती हैं और ये गतिविधियाँ रात्रि या दिन किसी भी समय उपयुक्तता के अनुसार संपन्न की जा सकती हैं।

हमें रात की अर्थव्यवस्था को देखने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रयास पश्चिम की देखा-देखी में नहीं बल्कि भारत में बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन हेतु होना चाहिए। रात्रिकालीन वाणिज्य के संदर्भ में डाँस बार आदि से परे सोचने की जरूरत है। हमें रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं, यथा-रेहड़ी या स्ट्रीट वेंडर्स, टैक्सी ड्राइवर, खुदरा दुकान, बैंकों, क्लीनिकों, परिवहन, सरकारी कार्यालय इत्यादि के बारे में ध्यान केन्द्रित करने की अति आवश्यकता है। चौबीसों घंटे प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और विश्वसनीय सार्वजनिक व निजी परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

भारत सरकार का प्रयास

केन्द्र सरकार ने रोजगार के सृजन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 'मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016' तैयार किया था। इस बिल के कई प्रावधानों में से प्रमुख प्रावधान काम के लिए 24 घण्टे की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण, महिलाओं की सुरक्षा (विशेषकर रात्रि के समय), कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण आदि हैं। शायद इस मॉडल बिल की सबसे उत्कृष्ट विशेषता यह है कि यह वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को यह अनुमति दे सकता है कि यदि जरुरत हो तो वे अपने यहाँ चौबीसों घण्टे और सप्ताह के सभी दिनों में काम को चालू रख सकते हैं। इस मॉडल बिल के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

बिजनेस के लिए प्रावधान

- मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट बिल, 2016 केवल उन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल करता है जो दस या दस से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। इसमें बैंक, स्टॉक (Stocks), ब्रोकरेज (Brokerages), जर्नलिस्टिक (Journalistic) या प्रिंटिंग का काम, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान, डाँस बार और रेस्तराँ आदि शामिल हैं।
- इस मॉडल बिल में विनिर्माण इकाइयों को कवर नहीं किया गया है।
- यह मॉडल बिल रिटेल स्टोर व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वे वर्ष के 365 दिनों में किसी भी समय (अर्थात 24×7) में अपने प्रतिष्ठान को संचालित कर सकते हैं और कोई भी ओपनिंग व क्लोजिंग (Opening and Closing) समय चुन सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि कर्मचारियों के काम के घण्टे बढ़ाने से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इस स्थिति की संभावना खुदरा, आईटी, हॉस्पिटैलिटी एवं सेवा आदि क्षेत्रों में अधिक होती है।
- रिटेल स्टोर एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु एक सरल व एकीकृत प्लेटफार्म की स्थापना के प्रावधान को उल्लिखित किया गया है।
- इस बिल में कहा गया है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित कानूनी प्रावधानों में एकरूपता स्थापित की जाये ताकि पूरे देश में व्यापार समान रूप से स्थापित हो सके।

महिलाओं के लिए प्रावधान

- यह मॉडल बिल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति या स्थानांतरण आदि के मामलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों की मनाही करता है।
- नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं को भी कार्य के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और उनके लिए विश्राम कक्ष, शिशु गृह (Creche), लेडिज टॉयलेट एवं सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध आदि भी उपलब्ध होना चाहिए।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली काम की परिस्थितियों का निर्माण करना होगा और यदि जरूरत हो तो रात में उनके घर तक ड्रॉप (Drop) करने की सुविधा भी सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराई जाये।

उपर्युक्त के अलावा, श्रमिकों के कल्याण के लिए भी इस मॉडल बिल में कई प्रावधान किये गए हैं, जैसे- वैतनिक अवकाश (Paid Leave), स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, शौचालय, कैंटीन एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा इत्यादि। 2016 के इस मॉडल बिल में कहा गया है कि राज्य चाहें तो इसे पूरी तरह अपना सकते हैं या फिर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक संशोधित करके अपने यहाँ

इसे लागू कर सकते हैं। इसी के फलस्वरूप कुछ राज्यों-यथा महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली इत्यादि ने इस मॉडल में जरूरत के मुताबिक संशोधन करके अपने-अपने राज्य के लिए कानून बनाये हैं।

मॉडल बिल, 2016 का विश्लेषण

आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक लोगों को नियोजित (Employ) करने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, इस संदर्भ में केन्द्र सरकार का 'मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016' एक महत्वपूर्ण कदम है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार व्यापार, होटल, परिवहन और संचार आदि क्षेत्र में सर्विस सेक्टर को और विस्तारित करके देश की वार्षिक वृद्धि दर को और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सरकार को उपभोक्ता केन्द्रित सेवाओं के विस्तार पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। मॉडल बिल, सेवाओं के विस्तार के लिए एक उपयुक्त वातावरण के निर्माण का अवसर देता है, क्योंकि इसमें श्रमिकों एवं महिलाओं के कल्याण और काम करने की यथोचित दशाओं के विभिन्न उपबन्ध हैं तथा रात्रिकालीन वाणिज्य को सुचारू रूप से गतिशील होने के लिए भी विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, मॉडल बिल में खुदरा विक्रेताओं के लिए '24×7' समय तक शॉप/दुकान खोलने की इजाजत का भी प्रावधान है। उपर्युक्त प्रावधान न केवल अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करेंगे बल्कि पूरे देश में खुदरा व्यापार एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जीवंत बना देंगे, जिससे ग्राहकों को कभी भी खरीददारी करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

भारत में लाल फीताशाही और लाइसेंसिंग राज ने बिजनेस को मुख्य रूप से अवरुद्ध किया है। अतः इन चुनौतियों से निपटने और 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए 'मॉडल बिल, 2016' में सरल व एकीकृत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, पूरे देश में बिजनेस से संबंधित कानूनों में एकरुपता भी लायी जायेगी। इस प्रकार, भारत उपर्युक्त विभिन्न सुधारों व नवाचारों के माध्यम से व्यवसाय में एक बड़ी छलांग लगा सकता है।

वर्तमान में, भारत में विभिन्न राज्यों के रिटेल शॉप व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए अपने अलग-अलग कानून हैं जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/इकाई की साइज (आकार) के प्रावधान को शामिल नहीं करते हैं और न ही इन प्रतिष्ठानों/दुकानों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति व नियम को निर्धारित करते हैं, अर्थात इस संदर्भ में राज्यों के पास उपयुक्त कानून नहीं हैं, जिससे कुछ सरकारी अधिकारियों को मनमानी करने व भ्रष्टाचार को सह देने में मदद मिलती है। मॉडल बिल, 2016 कर्मचारियों के साथ-साथ व्यवसायियों के भी अधिकारों व दायित्वों का निर्धारण करता है और किसी को भी मनमानी करने से रोकता है। इस मॉडल बिल में गोदाम, वेयरहाउस, पैकेजिंग और कार्यस्थल से संबंधित गतिविधियाँ आदि सभी की चर्चा की गयी है। यह ई-कॉमर्स कम्पनियों को श्रम कानून (Lobour Law) की नियमावली के तहत लाएगा ताकि ई-कामर्स कम्पनियों को विभिन्न राज्यों में गोदामों एवं वेयरहाउसों का संचालन करते समय विभिन्न तरह की समस्याओं से निजात दिलाई जा सके।

भारत में, वर्तमान परिदृश्य में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान (विशेष रूप से ई-कॉमर्स से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान) साल के 365 दिनों में '24×7' समय तक संचालित होने की क्षमता व इच्छा रखते हैं, लेकिन इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल व भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है। मॉडल बिल इन चुनौतियों से देश की अर्थव्यवस्था को निजात दिलायेगा और लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी उन्नत बनायेगा।

आलोचना

कई आलोचक 'मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेण्ट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016' की विभिन्न आधारों पर आलोचना भी करते हैं-

- इस मॉडल बिल में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में किसी भी तरह के प्रावधान नहीं किये गए हैं, जबकि किसी भी कर्मचारी के लिए यह प्राथमिक जरुरत होती है।
- मॉडल बिल में कौशल बढ़ाने, उत्पादकता और नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय अधिक श्रम का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति कम समय के लिए लाभदायक हो सकती है किन्तु दीर्घकाल के लिए उपयुक्त नहीं है।
- विनिर्माण के संबंध में मॉडल बिल और श्रम कानून के बीच विसंगतियों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- मॉडल बिल में 10 कर्मचारियों से कम वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रिकाल में संचालित करने की अनुमति नहीं दी गयी है। इस प्रकार छोटे प्रतिष्ठानों को रात्रिकालीन वाणिज्य से वंचित करने से रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है।
- आलोचकों का यह भी कहना है कि मॉडल बिल में बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायदा होगा क्योंकि वे अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे और कर्मचारियों की लागत को वहन कर सकते हैं जबकि छोटे-छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसके लिए निवेश जुटाना चुनौतीपूर्ण होगा।
- बाल श्रम कानून में 'पारिवारिक श्रम' (Family Labour) की अवधारणा को संशोधन के बाद जोड़ा गया है। इस अवधारणा के मुताबिक यदि पारिवारिक व्यवसाय है तो परिवार के बच्चों से भी श्रम लिया जा सकता है। अब मॉडल बिल, 2016 में यह उपबंधित किया गया है कि बाल श्रम कानून का उपर्युक्त संशोधन रात्रिकालीन वाणिज्य में कानूनी रूप से मान्य होगा। आलोचकों का कहना है कि इससे बच्चों के श्रम का शोषण बढ़ सकता है।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का '24×7' समय तक संचालित होने से पूरे देश में ऊर्जा आवश्यकता (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में) अचानक से बढ़ सकती है, जिसके लिए अभी देश का ऊर्जा से संबंधित ढाँचा उपयुक्त नहीं है।

इन सब खामियों के बावजूद यह मॉडल बिल देश की आवश्यकताओं के लिए सरकार का उपयुक्त कदम है, क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ कर्मचारियों के कल्याण व सेवा शर्तों को सुनिश्चित करता है और देश के निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को (रात्रिकालीन वाणिज्य) उत्पन्न करता है।

आगे की राह

भारत में रात्रिकालीन वाणिज्य या अर्थव्यवस्था की सफलता काफी हद तक सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है। सरकार को न सिर्फ

रात्रिकालीन वाणिज्य के लिए अनुमति देनी चाहिए, बल्कि इसको सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करने चाहिए। मॉडल बिल, 2016 भारत की श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में एक सुधारवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं या जरूरतों के मुताबिक इस मॉडल बिल को अपनाने हेतु आगे आना चाहिए। रात्रिकालीन वाणिज्य के लिए परिवहन एवं कानून व्यवस्था को त्वरित गति से सुधारने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रभावी पुलिसिंग एवं व्यापक सड़क प्रकाश व्यवस्था पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

6. भारत में अचल संपत्ति का क्षेत्र : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय आवास बैंक के शेयर खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1450 करोड़ रुपये देने की मंजूरी प्रदान की है। इस तरह अब राष्ट्रीय आवास बैंक केन्द्र सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक बन गया है।

परिचय

भारत में अचल संपत्ति का क्षेत्र एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के आस-पास होगा। 2025 तक यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान करेगा। तीव्र शहरीकरण और बढ़ती घरेलू आय, आवासीय, वाणिज्यिक सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अचल संपत्ति एक प्रमुख साधन है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है और भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक इसी क्षेत्र में है। इसके विपरीत सबसे ज्यादा कालेधन का कहीं निवेश किया गया है तो वह अचल संपत्ति का क्षेत्र ही है। भारत के अचल संपत्ति क्षेत्र में सीमापार पूंजी प्रवाह 2012-17 के बीच 2.6 बिलियन डॉलर तक था। भारत अपने संपत्ति बाजार में सीमा-पार पूँजी को आकर्षित करने वाले 73 देशों की सूची में 19वें स्थान पर रहा है। अचल संपत्ति क्षेत्र भारत में उभरता हुआ और लगातार आगे की तरफ बढता हुआ क्षेत्र बना हुआ है।

अचल संपत्ति और उसका वर्गीकरण

अचल संपत्ति, वह संपत्ति है जिसमें जमीन के ऊपर बनी इमारत या भवन का अधिकार प्राप्त होता है साथ ही जमीन के नीचे या भूमिगत अधिकार भी प्राप्त होता है। अचल संपत्ति का अर्थ है वास्तविक और भौतिक संपत्ति। इनमें ब्याज भी सम्मिलित होता है। संपत्ति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं-

आवासिक अचल संपत्तिः इसमें नये निर्माण और पुनर्विक्रय घर दोनों शामिल हैं। इसमें टाउन हाउस, डुप्लेक्स, ट्रिपल-डेकर, मल्टी-जेनेरिक और वेकेशन घर भी हैं।

व्यावसायिक अचल संपत्तिः इसमें शॉपिंग सेन्टर और स्ट्रिप मॉल, मेडिकल और शैक्षणिक भवन, होटल और कार्यालय शामिल है। अपार्टमेन्ट इमारतों को अकसर वाणिज्यिक स्थल माना जाता है।

औद्योगिक अचल संपत्तिः इसमें भवन और संपत्ति के साथ-साथ गोदाम भी शामिल हैं। भवनों का उपयोग अनुसंधान, उत्पादन, भंडारण और माल के वितरण के लिए किया जा सकता है। सामानों को वितरित करने वाली कुछ इमारतों को वाणिज्यिक अचल संपत्ति माना जाता है।

भारत में अचल संपत्ति का क्षेत्र 1990 के दशक से लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सबसे तेज बढ़ते अचल संपत्ति क्षेत्र वाले देशों में से एक है। यह केवल घरेलू निवेश को ही उत्साहित नहीं करता है बल्कि विदेशों से भी इस क्षेत्र में बहुत निवेश आता है। इस क्षेत्र का विकास दिखाता है कि भारत के लोगों की आय और भारत का शहरीकरण दोनों ही बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ

नियामक दबाव का सामनाः सरकार द्वारा बनाये गए नियामक नियमों ने इस क्षेत्र को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित किया है। निर्माणकर्ता रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट) के प्रभाव का सामना, नए निर्माण को प्रतिबंधित और परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। जैसे-जैसे रेडी-टू-मूव-इन संपत्तियों की आपूर्ति बढ़ेगी, निर्माणकर्ताओं को उल्लिखित समय सीमा पर परियोजनाओं को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

एकल खिड़की मंजूरीः एक अचल संपत्ति निर्माणकर्ता के लिए सबसे बड़ी बाधा संपत्ति निकासी की है जिसमें उसे 18 से 36 महीनों का समय लगता है। अनुमोदन प्रदान करने वाले अधिकारियों की देरी के कारण ही निर्माणकर्ताओं को एकल खिड़की मंजूरी प्राप्त नहीं होती है।

2008 की आर्थिक मंदीः 2006 में भारतीय अचल संपत्ति क्षेत्र एक स्वर्णिम अवधि और संपत्ति की भारी कीमतों से गुजर रहा था इसके बावजूद माँग उच्च स्तर पर थी। हालाँकि जब 2008 की मंदी की मार पड़ी जैसे- बैंको में फंड का कम होना, स्टॉक मार्केट क्रैश, मुद्रा संकट और बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान तो इस क्षेत्र को बड़ा झटका लगा। इससे उच्च आय वाले समूह

ने अचल संपत्ति में निवेश की योजनायें बंद कर दीं। नतीजतन, आवास की माँग कम हो गयी और डेवलपर्स को अपनी संपित्त के लिए खरीददार मिलना बंद हो गये। अंततः वे अपनी संपत्ति को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर हो गये।

उच्च ब्याज दर और अस्पष्ट कर दर: उच्च ब्याज दर अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके जैसे देशों की तुलना में भारत के बैंक 7-8% अधिक दर पर ऋण देते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में ब्याज दर लगभग 10% है जो एक संपत्ति खरीदने के लिए अमेरिकी बैंको द्वारा लगाए गए ब्याज दर से 3-4 गुना अधिक है। उच्च ब्याज दर संपत्ति की माँग को कम करती है।

बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और कब्जे में देरी: होम लोन लेने वाले लोगों को लोन लेने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCs) लोगो को आसानी से लोन नहीं देती हैं। कुछ लोग प्रमाण-पत्र जमा कर लोन ले लेते हैं और निवेश कर देते हैं, लेकिन जोखिम संपत्ति में निवेश करने से उन्हें उनका रिटर्न अच्छे से वापस नहीं मिलता है और बैंको का पैसा फँस जाता है जो बाद में एनपीए (NPA) में तब्दील हो जाता है।

सरकारी पहल

भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर अचल संपत्ति क्षेत्र में विकास के लिए कई कदम उठा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना इस क्षेत्र की प्राथमिकता है। इसके अलावा भी सरकार की कई पहले हैं जो निम्नलिखित हैं-

- दिसंबर 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत 6.85 मिलियन घरों को मंजूरी प्रदान की गयी।
- फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपये तक के फंड को मंजूरी प्रदान की गयी।
- 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,427,486 शहरी अवास निर्माण को मंजूरी प्रदान की गयी। मार्च 2018 में अतिरिक्त 3,21,567 घरों को मंजूरी प्रदान की गयी।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की साख में वृद्धि: राष्ट्रीय आवास बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 2022 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का वर्तमान अनुपात 12% है, जिसे अगले तीन वर्षो में 1% तक बढ़ा दिया जायेगा। हाउसिंग फाइनेंस नियंत्रणकर्ताओं ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की मार्च 2022 तक नेट स्वामित्व वाले फण्डों की आधार सीमा घटाकर 12 गुना कर दी है। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने विनियामक परिवर्तनों पर टिप्पणियों की मांग की है।

अचल संपत्ति (नियंत्रण एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA): अचल संपत्ति (नियंत्रण एवं विकास) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 2016 में पास किया गया। यह अधिनियम घर खरीददारों की राहत के साथ-साथ अचल संपत्ति क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह अधिनियम अचल संपत्ति क्षेत्र के नियमन के लिए प्रत्येक राज्य में अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है। साथ ही शीघ्र विवाद निवारण के लिए एक सहायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा विवादों का जल्दी निपटारा करने में भी मदद करता है। रेरा से परियोजना विपणन और निष्पादन में पारदर्शिता आयेगी। रेरा के निर्णयों के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अचल संपत्ति अपीलीय न्यायाधिकरण होगा। यह अधिनियम अनुमोदन प्रक्रिया से सुधार के उपायों के बारे में राज्य सरकारों को सिफारिश करने की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी): राष्ट्रीय आवास बैंक को हाउसिंग फाइनेंस के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। एनएचबी क्षेत्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों के आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देता है। एनएचबी आवासीय ऋण देने वाले वित्तीय संस्थाओं को वित्त सहायता भी प्रदान करता है। वित्त विधेयक 2018 ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन कर आरबीआई की हिस्सेदारी को भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब यह बैंक पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध कराना है।

33वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग: वित्त मंत्री ने आवासीय अनुभाग को कवर करने वाले निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए जीएसटी दर में कटौती की घोषणा की है। खरीदने योग्य घरो को जीएसटी कानून के तहत पुनर्परिभाषित किया गया है।

मेट्रो शहर के मामलो में 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र तथा 45 लाख रुपये मूल्य तक के फ्लैट को खरीदने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि गैर-मेट्रो शहरों के मामले में 90 वर्ग मी. तक के क्षेत्र तथा 45 लाख रुपये मूल्य वाले फ्लैट को शुल्क मुक्त किया गया है।

अचल संपत्ति के क्षेत्र में अवसर (Opprtunities in Real Sector)

- वर्ष 2019 में निर्माणकर्ता (Developers) प्रमुख रूप से मौजूदा परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने और बेचने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे इसलिए वर्ष 2019 आवासीय बाजार में प्रमुख बिक्री और वितरण का गवाह होगा। रेरा ने निर्माणकर्ता को उल्लिखित समय सीमा तक पारदर्शी रहने और परियोजना को पूरा करने के अवसर दिए हैं।
- सरकार विभिन्न कर प्रोत्साहन और अन्य सुधारों के माध्यम से किफायती आवास के स्रोत को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।
- सरकार के द्वारा कई सुधार किए गए हैं जिनमें रेरा (RERA) और जीएसटी शामिल हैं जो अचल संपत्ति क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये सुधार घर खरीददारों और अचल संपत्ति निर्माणकर्ताओं व इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का चेहरा बदल देंगे।
- इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी के कारण वित्तीय संस्थाओं से स्वच्छ पूंजी प्राप्त करना मुश्किल था लेकिन रेरा और विमुद्रीकरण के प्रभाव में आने के बाद घर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव आया है। वित्तीय संस्थानों और निवेशकर्ताओं ने स्वच्छ पूँजी के लिए नया रास्ता खोला है। यह सकारात्मक पहल को दर्शाता है।

निष्कर्ष

अचल संपत्ति का क्षेत्र बहुत ही अनिश्चित क्षेत्र है और लगातार पिछले कुछ वर्षो से यह क्षेत्र दबाव महसूस कर रहा है। विमुद्रीकरण और जीएसटी के आने से इस क्षेत्र की वृद्धि धीमी पड़ गयी थी। लोगों ने इस क्षेत्र में निवेश करना बहुत ही कम कर दिया क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ही

इसमें निवेश किया हुआ था उनका निवेश अच्छे रिटर्न के साथ वापस नहीं आया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।

अब भी इस क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से दबाव कम हुआ है और लोगों में फिर से इसमें निवेश बढ़ाने को लेकर उत्साहवर्द्धन हुआ है (रेरा और राष्ट्रीय आवास बैंक के सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आने से)। भारतीय अचल संपत्ति क्षेत्र के एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक इस क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पादन में 17% तक होगी। भारत सरकार को इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना के विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। जिससे कि यह क्षेत्र दबाव से मुक्त हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

7. हिमालयी क्षेत्र की जलवायु सुभेद्यता का आकलन

चर्चा का कारण

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) ने 12 हिमालयी राज्यों के सामने आने वाले जलवायु जोखिम का आकलन (Assessment) करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत असम, अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील राज्यों को विशेष रूप से संदर्भित किया जाएगा।

परिचय

जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र और मानव, जीव-जन्तुओं एवं पेड़-पौधों को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव-भौतिक प्रणालियों (पहाड़ों, नदियों, जंगलों, आर्द्रभूमि आदि) और सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों (पहाड़ी समुदायों, तटीय समुदायों, कृषि, पशुपालन आदि) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ''भारतीय हिमालय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम'' (IHCAP) नाम से एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (SDC) की एक परियोजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

हिमालयी क्षेत्र असाधारण रूप से विविधता और स्थानिकता से समृद्ध होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक भू-सम्पदा, औषधीय सम्पदा, वन, वन्यजीव, पादप प्रजातियाँ, जैवविविधता, हिमनदों और जलस्रोतों आदि के कारण भारतीय हिमालयी क्षेत्र हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए शोध का केन्द्र रहा है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से भारत ही नहीं बल्कि एशिया की अधिकांश जलवायु प्रभावित होती है। हिमालय का भारतीय क्षेत्रों में भौगोलिक विस्तार 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.2% है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में भारत के बारह राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड आते हैं।

सुभेद्यता मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों

पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से भारतीय भू-भाग के लिए हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा सकता है-

- बारहमासी नदियाँ एवं पीने के पानी का प्रमुख स्रोत
- व्यापक क्षेत्रों में वन संसाधन की उपलब्धता
- सिंचाई और जल विद्युत
- जैव विविधता का संरक्षण
- कृषि के लिए समृद्ध आधार प्रदान करना
- पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान
- स्थायी पर्यटन के लिए शानदार परिदृश्य
- वनवासी तथा स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत इत्यादि।

अधिकतर हिमालयन लोग वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। भौतिक बाधाओं एवं जलवायु संवेदनशीलता के वजह से इन समुदायों के पास आजीविका के विकल्प सीमित हैं, अत: वे असुरक्षित महसुस करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सुभेद्यता मूल्यांकन मुख्यत: जोखिम के क्षेत्रों की पहचान कर अनुकूल परिस्थिति का विकास करेगा।

राज्य स्तरीय सुभेद्यता सूचकांक

इसके अंतर्गत शोधकर्त्ताओं ने राज्यों के साथ कार्यशालाएँ आयोजित कर आठ प्रमुख मापदंडों को अपनाया है। इसमें सुभेद्यता को मुख्य रूप से भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर निहित जोखिमों के रूप में संदर्भित किया गया है। सुभेद्यता सूचकांक को 0-1 अंक तक अधिसूचित किया गया है, जिसमें अंक 1 सुभेद्यता के उच्चतम संभावित स्तर को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि असम 0.72 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है जबकि 0.71 अंकों के साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर है। सिक्किम 0.42 के सूचकांक स्कोर के साथ अपेक्षाकृत कम असुरक्षित है। जबकि अन्य राज्य जो सूचकांक के मध्य में स्थित हैं, वे जम्मू और कश्मीर (0.62), मणिपुर (0.59), मेघालय और पश्चिम बंगाल (दोनों 0.58), नागालैंड (0.57), हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा (0.51 दोनों), अरूणाचल प्रदेश (0.47) और उत्तराखंड (0.45) हैं।

कौन है सबसे ज्यादा संवेदनशील

असम : अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से असम सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसकी वजह यह है कि असम राज्य में बहुत कम जमीन सिंचाई के दायरे में है। इसके अलावा प्रति एक हजार ग्रामीण घरों पर जंगल का अनुपात भी यहाँ सबसे कम है। असम में सौ दिनों का रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की पहुंच भी बहुत कम है।

यहाँ जलवायु परिवर्तन के चलते बार-बार आने वाली बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने में लोग सक्षम नहीं हैं। बीते कुछ वर्षों के दौरान राज्य को कई बार बाढ़ और सूखे जैसे हालातों का सामना करना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इन प्राकृतिक विपदाओं की गंभीरता बढ़ी है। स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 60 सालों (वर्ष 1951 से 2010) के दौरान राज्य में सालाना औसत तापमान 0.59 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और वर्ष 2050 तक इसमें 1.7 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अंदेशा है। औसतन

सालाना बारिश में भी 38 फीसदी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा वर्ष 2050 तक राज्य में चाय की पैदावार भी लगभग 40 फीसदी घट जाएगी।

राज्य की 32 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसमें से भी ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए मौसम की अनुकूलता पर निर्भर हैं। ऐसे में मौसम में बदलाव की वजह से आने वाली आपदाओं से उनको बचाना बेहद मुश्किल है। ब्रह्मपुत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जलवायु परिवर्तन की मार की सबसे बड़ी मिसाल है। बार-बार आने वाली बाढ़ की वजह से इसका क्षेत्रफल साल दर साल सिकुड़ता जा रहा है। बारिश के पैटर्न में बदलाव, सूखे और बाढ़ की मार की वजह से इस द्वीप से हाल के वर्षों में रोजी-रोटी की तलाश में लोगों का पलायन तेज हुआ है।

मिजोरमः इसी तरह मिजोरम का लगभग 30 फीसदी इलाका ढलावनुमा होने के कारण इस राज्य में जलवायु परिवर्तन का असर ज्यादा होने का अंदेशा है। ऐसे इलाके भूस्खलन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इसका नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ता है।

मिजोरम के बारे में मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि, राज्य में फसल बीमा नहीं होना, सड़कों का घनत्व कम होना, फूलों की खेती वाला इलाका कम होना, इंसान व पशुओं की आबादी के अनुपात में भारी अंतर और कुल मजदूरों में महिलाओं की तादाद कम होने जैसी चीजें इस राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील बनाती हैं। भौगोलिक स्थिति तो सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन बाकी पहलुओं पर ध्यान देकर हालात बेहतर जरूर बनाए जा सकते हैं।

सिक्किमः पहाड़ी राज्य होने के बावजूद सिक्किम जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे कम संवेदनशील है। इसकी वजह वहाँ के घने जंगल, आबादी का कम घनत्व और प्रति व्यक्ति आय अधिक होना है।

जम्मू एवं कश्मीरः गौरतलब है कि जम्मू एवं कश्मीर की सुभेद्यता का मुख्य कारण है- सड़क का घनत्व कम होना, प्रति हजार ग्रीमीण परिवारों पर जंगलों की उपलब्धता,फसल बीमा के तहत कृषि क्षेत्रों का अभाव,सीमांत किसानों का उच्च प्रतिशत, पशुधन तथा बागवानी फसलों के तहत कम क्षेत्र और श्रम कार्य (Work Force) में महिलाओं की कम उपस्थिति आदि।

मणिपुरः मणिपुर में सुभेद्यता के तीन प्रमुख कारक हैं- सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, कर्ज लेने वाले किसानों का कम प्रतिशत तथा प्रति हजार परिवारों पर वनों के तहत कम क्षेत्रफल का होना।

पश्चिम बंगालः इस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तथा प्रति लाख परिवारों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कम है। यहाँ वनों का क्षेत्रफल कम है तथा समग्र कार्यबल में महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी कम है।

यहाँ सीमांत किसानो का प्रतिशत उच्च है और अन्य राज्यों की तुलना में काम करने वाले लोगों का मनरेगा में भागीदारी निम्न है।

नागालैंडः यहाँ फसल बीमा के अंतर्गत कोई क्षेत्र नहीं है। ऋण लेने वालों किसानों का प्रतिशत कम है और प्रति हजार ग्रामीण परिवारों के लिए वनों का क्षेत्रफल भी कम है।

उत्तराखण्डः यहाँ सुभेद्यता का केवल एक प्रमुख कारण है- प्रति हजार परिवरों पर वनों का कम क्षेत्रफल होना।

अरूणाचल प्रदेशः यहाँ पर अन्य राज्यों की अपेक्षा कम सुभेद्यता पायी जाती है क्योंकि यहाँ सामाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी है तथा स्वास्थ्य, सूचनाओं और बुनियादी ढाँचे तक लोगों की पहुँच काफी हद तक हो चुकी है।

त्रिपुराः यहाँ सीमांत किसान अधिक हैं किंतु प्रति व्यक्ति आय कम हैं। वनों और फसल बीमा के तहत कम क्षेत्र हैं। यहाँ सड़कों का घनत्व अधिक है और मनरेगा में काम करने वाले लोगों की भागीदारी भी अत्यधिक है।

हिमालय के ग्लेशियर

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये एक शोध पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की चेतावनी दी गई है। हिन्दकुश हिमालय ग्लेशियर पर आधारित यह रिपोर्ट कहती है कि यदि वैश्विक उत्सर्जन (ग्लोबल वॉर्मिंग) नहीं घटता है तो दुनिया का तीसरा ध्रुव समझे जाने वाले हिमालय ग्लेशियर का दो तिहाई हिस्सा वर्ष 2100 तक पिघल सकता है।

इस अध्ययन के अनुसार यदि ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाला पेरिस संधि लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भी एक तिहाई हिमनद पिघलना तय है।

सरकारी प्रयास

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (एनएमएसएचई)

जलवायु परिवर्तन से भारत के हिमालयी क्षेत्र पर खतरा अत्यधिक बढ़ गया है इसलिए, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह मिशन शुरु किया गया है। 'हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पोषणीय मिशन' जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के आठ मिशनों में से एक है। इस मिशन की शुरुआत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एनएपीसीसी) के तहत की गई थी। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का लगातार पता लगाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय क्षमता को विकसित करना और नीति निर्माण कार्यो से संबंधित निकायों को सक्षम बनाना है। इसके साथ ही इस मिशन के तहत हिमालय क्षेत्र के राज्यों को सतत विकास के लिए सहायता और सुझाव भी प्रदान की जाएगी।

मिशन के कार्यात्मक क्षेत्र

- हिमालय के ग्लेशियर और संबंधित हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव का आकलन करना;
- प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन करना;
- जैव विविधता संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना;
- वन्य जीवन को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना;
- पारंपरिक ज्ञान, समाज और उनकी आजीविका के साधन को संरक्षित करना;
- आम जनजीवन की बहाली और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।

इस मिशन के तहत हिमालय के इलाकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले भौतिक, जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक आकलन भी किया जाएगा। वैज्ञानिक आकलन से उचित नीतिगत उपायों को बनाने और समयबद्ध कार्यवाई करने में मदद मिलेगी ताकि पारिस्थितिकी लचीलापन बनाए रखा जा सके और प्रमुख पारिस्थितिकी सेवाओं की निरंतरता का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

मिशन के उद्देश्य

1. पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान, जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों के आधार पर अनुसंधान के लिए ज्ञान आधारित संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना।
2. पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्राकृतिक और मानवजनित प्रेरित संकेतों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना। साथ ही

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के रुझानों की भविष्यवाणी करना।

3. वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक परिणामों का आकलन करने और पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना।
4. खेती और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी के लिए पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन करना।
5. क्षेत्र में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्थायी पर्यटन विकास, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की दिशा में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन करना।
6. कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करने के लिए क्षेत्र में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना।
7. पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना, निगरानी और विश्लेषण के माध्यम से एक मजबूत डेटा बेस तैयार करना तथा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञान का आधार बनाना।

आगे की राह

भारत के हिमालयन राज्यों में असम और मिजोरम जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 12 हिमालयी राज्यों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के वजह से मौसम में होने वाले बदलावों पर अंकुश लगाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से होने वाले नुकसान पर अंकुशल लगाना होगा ताकि जान-माल की क्षति न हो सके। हिमालयी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति, अपदा प्रबंधन, कृषि, सिंचाई, फसल बीमा आदि से संबंधित योजनाओं का संचालन किया जाना अतिआवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का सूक्ष्म विश्लेषण

प्र. भारत के उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से जनसांख्यिकीय विचलन को देखा जा सकता है। इसके क्या निहितार्थ हैं? टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वर्तमान स्थिति
- जनसांख्यिकीय विचलन के नीतिगत निहितार्थ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) धरा भारत में जनसांख्यिकीय लाभ पर किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से जनांख्यिकीय विचलन मौजूद है।

वर्तमान स्थिति

- यूएनएफपीए धरा जारी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में जहाँ दक्षिण भारतीय राज्यों में कमी होगी, वहीं उत्तरी राज्यों में इसमें वृद्धि होगी। भारत की कुल युवा आबादी (2001 से 2061 के बीच) का लगभग 2/3 जनसंख्या (400 मिलियन) उत्तर भारत के 6 राज्यों में रहेगी। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों के कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि (2001-2031 तक) 200 से 227 मिलियन होगी। तत्पश्चात इसमें गिरावट परिलक्षित होगी तथा यह 2061 तक लगभग 183 मिलियन ही रहेगी।

जनसांख्यिकीय विचलन के नीतिगत निहितार्थ

- उत्तर-मध्य क्षेत्र देश की श्रम शक्ति के केंद्र में होगा। यदि भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो विकास की कुंजी इन्हीं राज्यों में निहित है। यदि सही नीतियों तथा आनुवंशिक संसाधनों का आवंटन पूरी क्षमता के साथ इस युवा आबादी वाले राज्यों में किया जाए तो ये राज्य देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्त्ता बन सकते हैं।
- दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में तथा उत्तर-मध्य राज्यों में आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने तथा विभिन्न संस्थानों को संचालित करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। भारत में प्रवास के रूझान पहले से ही स्पष्ट हैं और जनसांख्यिकीय विचलन से भारत में प्रवास को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

चुनौतियाँ

- भारत में बढ़ता कार्यशील जनसंख्या अनुपात सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब सरकार इस कामकाजी उम्र की आबादी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सक्षम हो।
- भविष्य में पैदा होने वाली अधिकांश नई नौकरियों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक गंभीर चुनौती है।

आगे की राह

- कामकाजी जनसंख्या (महिला व पुरुष दोनों) के पूर्ण योगदान के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। बिना मानव पूंजी में निवेश के जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। अतः मानव पूंजी में निवेश करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह स्थिति भविष्य में आर्थिक व सामाजिक अंतर को बढ़ाने का काम करेगी, जो देश की प्रगति में बाधक सिद्ध होगी।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी खत्म करने तथा अधिक समावेशी समाज के निर्माण में मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव पूंजी आज भारत की संपदा का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक है। ■

भारत में लोकपालः एक लम्बा सफर बाकी

प्र. भारत में शीर्ष स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लोकपाल कहाँ तक सीमित कर पायेगा? इस मार्ग में आने वाली चुनौतियों की विस्तार से चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (पी.सी.घोष) को राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है।

परिचय

- लोकपाल एक 'भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण' (Anti-corruption Authority) है जिसे ओम्बुड्समैन (Ombudsman) भी कहा जाता है। यह भ्रष्टाचार एवं अन्य जन शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। भारत में केन्द्र स्तर पर इस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का नाम लोकपाल है और राज्य स्तर पर इस संस्था का नाम लोकायुक्त है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- यह अधिनियम कहता है कि केन्द्र स्तर पर एक लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्तों का गठन किया जायेगा।
- लोकपाल की संस्था में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें आधे सदस्य (अर्थात् 4 सदस्य) न्यायिक क्षेत्र से होंगे और शेष आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।
- लोकपाल संस्था के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक चयन समिति धरा किया जायेगा, जिन पर नियुक्ति की अंतिम मुहर राष्ट्रपति की होगी।

चुनौतियाँ

- कुछ विद्वानों का कहना है कि लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिससे इसके गठन में काफी विलम्ब हो जाता है, जैसे-'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के आने के लगभग 5 साल बाद लोकपाल का गठन हो पाया।
- उपर्युक्त तथ्य के विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सही है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के आने के बाद लोकपाल के गठन में लगभग 5 साल लग गये, जो किसी भी शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थित नहीं है, किन्तु लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था की जल्दबाजी में गठन करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि यह बड़े-बड़े उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की गड़बड़ियों की त्वरित जाँच करेगा।
- अंदेशा यह भी है कि अन्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की तरह लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था में सरकार अपनी विचारधारा से संबंधित लोगों को बैठा सकती है, जो सरकार के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने से हिचकेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर टिप्पणी को देखा जा सकता है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि वह सरकार की पपेट (Poppet) है अर्थात् जो सरकार चाहती है वही सीबीआई बोलती है।

आगे की राह

- उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को त्वरित गति व प्रभावी रूप से हल करने एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए लोकपाल व लोकायुक्त महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, अतः केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इन्हें मजबूत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। ■

सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन का वीटो

प्र. उन कारणों की समीक्षा कीजिए, जिनके चलते चीन बार-बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकी घोषित न होने देने के लिए वीटो पॉवर का इस्तेमाल करता है। आपके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी महत्वपूर्ण संस्था में चीन के धरा अपने संकीर्ण हितों की प्रतिपूर्ति को रोकने के लिए भारत को किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- चीन द्वारा वीओ का इस्तेमाल क्यों
- सुझाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) में जैश-ए-मुहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने एक बार फिर वीटो (Veto) किया है।

परिचय

- मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए भारत पिछले काफी समय से प्रयासरत रहा है। हाल ही में पुलवामा हमले के बाद भारत ने जैश-ए-मुहम्मद के सरगना पर प्रतिबंध लगाने हेतु कई देशों को डोजियर (Dossier) सौंपे थे। भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार स्थाई सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, ब्रिटेन और रूस) और 9 अस्थाई सदस्य हैं, किंतु चीन ने पहले की ही तरह इस बार भी मसूद अजहर को बचाने के लिए वीटो किया है।

चीन द्वारा वीटो का इस्तेमाल क्यों

- चीन के कई आर्थिक और भू-सामरिक हित पाकिस्तान से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 'बीआरआई' (बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव) का विवादित हिस्सा सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था की मदद करने के बजाय चीन के भू-सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति करती हुई प्रतीत होती है।
- चीन, अफगानिस्तान में भारत की गतिविधियों को लेकर भी सशंकित है। चीन को लगता है कि यदि भारत के प्रभाव को अफगानिस्तान में सीमित करना है तो पाकिस्तान की भारत के प्रति नीति को जीवित बनाये रखना होगा।
- चीन, भारत को छोटी-छोटी दिक्कतों में उलझाये रखना चाहता है ताकि एशिया में उसे कोई भी चुनौती न प्रदान कर सके।

सुझाव

- यदि भारत चाहता है कि चीन आतंकवाद के अपने संकुचित दृष्टिकोण में बदलाव लाये, तो इसके लिए भारत चीन को कुछ प्रलोभन (Incentives)

दे सकता है जो आर्थिक, कूटनीतिक एवं अन्य किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। कुछ कूटनीतिज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा चीन को प्रलोभन एक सीमा से ऊपर नहीं प्रदान करना चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर पर प्रतिबंध से भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है।

- भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सुधारों के प्रति ध्यान आकर्षित करना होगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रति सुझाए गए हैं। इन सुझावों में वीटो शक्ति के इस्तेमाल को सीमित करने के प्रावधान दिये गये हैं।
- भारत को लाइक माइन्डेड (Like Minded) और समान हितों को रखने वाले देशों व संगठनों के साथ मिलकर आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रयास करना होगा, जिसमें 'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल' (एफएटीएफ) जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ■

भारत में श्रम बल का बढ़ता संविदाकरण

प्र. संविदा श्रमिक से आप क्या समझते हैं? संविदा श्रमिक के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- संविदा श्रमिकों की समस्या
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- पिछले कुछ समय से श्रमिक सुधार कानून का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है जिसकी तरफ हाल ही में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ASI) से संबंधित आंकड़ों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गत् वर्षो में अनुबंध कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि कुल रोजगार में अनुबंध कर्मचारियों की हिस्सेदारी 2000-01 में 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 27.9 हो गई जबकि इसके विपरीत सीधे तौर पर काम पर रखे गए श्रमिकों का हिस्सा उसी अवधि में 61.2 प्रतिशत से गिरकर 50.4 प्रतिशत हो गया है।

परिचय

- किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी वहाँ के श्रमिक होते हैं। दरअसल श्रम शक्ति ही अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। ऐसे में श्रमिकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही यह सुरक्षा प्राप्त हो पाती है।

संविदा श्रमिकों की समस्या

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों में संविदा श्रमिकों की स्थिति कहने को तो घरों में काम करने वाले सेवकों, बुनकरों तथा रेहड़ी व माल ढोने वालों से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन्हे कुछ समय के लिए निश्चित काम मिल जाता है लेकिन इन कामगारों की वास्तविक स्थिति दयनीय होती है। इन अनुबंध श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी प्रयास

- श्रम-सुधारों का मतलब श्रम-बाजार का विभाजन करते हुए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करना व दूसरी ओर उद्यमियों की चिंताओं का समाधान करते हुए उद्यमिता एवं निवेश के अनुकूल माहौल सृजित करना है, ताकि आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया त्वरित हो जिससे रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना को बल मिले।
- श्रम सुधारों की दिशा में स्वतंत्रता के पश्चात कई विधायी पहलें की गईं जिनमें से हाल ही में की गई पहल महत्वपूर्ण हैं। ज्ञातव्य हो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में आने वाले कामगारों के कल्याण के लिए श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 को कुछ समय पूर्व ही अधिनियमित किया। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के निर्माण की अनुशंसा पर बल देता है जिसे अमलीजामा पहनाने का कार्य राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का होता है।

आगे की राह

- भारतीय फर्मों द्वारा संविदा नियुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति रोजगार के लचीलेपन की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है। विकसित देशों में मध्यम आकार की फर्मों के लिए कर्मचारियों की नौकरी की आउटसोर्सिंग और फैलाव आम बात हो गई है। वर्तमान में चीन, बांग्लादेश, मिस्र, ब्राजील और कोलंबिया जैसे विकासशील देश भी लचीले किराए पर श्रमिक लेने की अनुमति देने के लिए अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। गत समय से भारत में भी यह बदलाव देखा जा रहा है जो श्रमिको के हितों के अनुकूल नहीं साबित हो रहा है। अतः इस समस्या का जितनी जल्दी समाधान हो सके, किया जाना चाहिये। ■

रात्रिकालीन वाणिज्यः भारत के लिए विकास का एक अवसर

प्र. रात्रिकालीन वाणिज्य भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार वृद्धि दर प्रदान कर सकता है? इसके उन्नयन हेतु भारत सरकार के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भारतीय स्थिति और विश्लेषण
- भारत सरकार का प्रयास
- बिजनेस के लिए प्रावधान
- मॉडल बिल, 2016 का विश्लेषण
- आलोचना
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- फ्यूचर रिटेल ग्रुप और 7-इलेवन कम्पनी मिलकर इस साल भारत के विभिन्न शहरों में कई प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड स्टोर खोलने की योजना बना रही हैं। ज्ञातव्य है कि इन दोनों कम्पनियों ने मिलकर विश्व के लगभग 18 देशों में अपने स्टोर खोले हुए हैं, जो वहाँ दिन के 24 घण्टे खुले रहते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

भारतीय स्थिति और विश्लेषण

- भारत में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था या वाणिज्य के अवसरों का एक मोटा अनुमान निम्नानुसार हो सकता है। भारत के शीर्ष 10 शहरों का देश की कुल जीडीपी (लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर) में लगभग 400 बिलियन डॉलर का योगदान है।
- यदि यह माना जाये कि रात्रिकालीन गतिविधियाँ इन 10 प्रमुख शहरों की कुल अर्थव्यवस्था में 6% अतिरिक्त का योगदान जोड़ देंगी, तो इन गतिविधियों से उत्पन्न राशि लगभग 24 बिलियन डॉलर की होगी जो देश की कुल जीडीपी में अतिरिक्त 0.8 प्रतिशत का योगदान होगा।
- उल्लेखनीय है कि जीडीपी वृद्धि का प्रत्येक प्रतिशत बिंदु (Percentage Point) लगभग 2 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम है।

भारत सरकार का प्रयास

- केन्द्र सरकार ने रोजगार के सृजन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 'मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016' तैयार किया था।

बिजनेस के लिए प्रावधान

- मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट बिल, 2016 केवल उन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल करता है जो दस या दस से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। इसमें बैंक, स्टॉक (Stocks), ब्रोकरेज (Brokerages), जर्नलिस्टिक (Journalistic) या प्रिंटिंग का काम, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान, डाँस बार और रेस्तराँ आदि शामिल हैं।
- इस मॉडल बिल में विनिर्माण इकाइयों को कवर नहीं किया गया है।
- यह मॉडल बिल रिटेल स्टोर व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वे वर्ष के 365 दिनों में किसी भी समय (अर्थात 24x7) में अपने प्रतिष्ठान को संचालित कर सकते हैं और कोई भी ओपनिंग व क्लोजिंग (Opening and Closing) समय चुन सकते हैं।

मॉडल बिल, 2016 का विश्लेषण

- आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक लोगों को नियोजित (Employ) करने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, इस संदर्भ में केन्द्र सरकार का 'मॉडल शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016' एक महत्वपूर्ण कदम है।

आलोचना

- इस मॉडल बिल में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में किसी भी तरह के प्रावधान नहीं किये गए हैं, जबकि किसी भी कर्मचारी के लिए यह प्राथमिक जरुरत होती है।

आगे की राह

- भारत में रात्रिकालीन वाणिज्य या अर्थव्यवस्था की सफलता काफी हद तक सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है। सरकार को न सिर्फ रात्रिकालीन वाणिज्य के लिए अनुमति देनी चाहिए, बल्कि इसको सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करने चाहिए। मॉडल बिल, 2016 भारत की श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में एक सुधारवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ■

भारत में अचल संपत्ति का क्षेत्रः एक अवलोकन

प्र. भारत में अचल संपत्ति के क्षेत्र और उसके वर्गीकरण की चर्चा करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- अचल संपत्ति एवं उसका वर्गीकरण
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय आवास बैंक के शेयर खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1450 करोड़ रुपये देने की मंजूरी प्रदान की है।

परिचय

- भारत में अचल संपत्ति का क्षेत्र एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के आस-पास होगा। 2025 तक यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान करेगा। तीव्र शहरीकरण और बढ़ती घरेलू आय, आवासीय, वाणिज्यिक सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अचल संपत्ति एक प्रमुख साधन है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है और भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक इसी क्षेत्र में है।

अचल संपत्ति एवं उसका वर्गीकरण

- अचल संपत्ति, वह संपत्ति है जिसमें जमीन के ऊपर बनी इमारत या भवन का अधिकार प्राप्त होता है साथ ही जमीन के नीचे या भूमिगत अधिकार भी प्राप्त होता है। अचल संपत्ति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं-
  - आवासिक अचल संपत्ति,
  - व्यावसायिक अचल संपत्ति तथा
  - औद्योगिक अचल संपत्ति आदि।

चुनौतियाँ

- नियामक दबाव का सामना,
- एकल खिड़की मंजूरी,
- 2008 की आर्थिक मंदी,

- उच्च ब्याज दर और अस्पष्ट कर दर तथा
- बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और कब्जे में देरी आदि।

निष्कर्ष

- अचल संपत्ति का क्षेत्र बहुत ही अनिश्चित क्षेत्र है और लगातार पिछले कुछ वर्षो से यह क्षेत्र दबाव महसूस कर रहा है। विमुद्रीकरण और जीएसटी के आने से इस क्षेत्र की वृद्धि धीमी पड़ गयी थी। लोगों ने इस क्षेत्र में निवेश करना बहुत ही कम कर दिया क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ही इसमें निवेश किया हुआ था उनका निवेश अच्छे रिटर्न के साथ वापस नहीं आया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।
- भारत सरकार को इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना के विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। जिससे कि यह क्षेत्र दबाव से मुक्त हो सके। ■

हिमालयी क्षेत्र की जलवायु सुभेद्यता का आकलन

प्र. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 'हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र पोषणीय मिशन' को समझाते हुए इसके कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- परिचय
- मिशन के कार्यात्मक क्षेत्र
- मिशन के उद्देश्य
- आगे की राह

परिचय

- जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र और मानव, जीव-जन्तुओं एवं पेड़-पौधों को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव-भौतिक प्रणालियों (पहाड़ों, नदियों, जंगलों, आर्द्रभूमि आदि) और सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों (पहाड़ी समुदायों, तटीय समुदायों, कृषि, पशुपालन आदि) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मिशन के कार्यात्मक क्षेत्र

- हिमालय के ग्लेशियर और संबंधित हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव का आकलन करना;
- प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन करना;
- जैव विविधता संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना;
- वन्य जीवन को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना;
- पारंपरिक ज्ञान, समाज और उनकी आजीविका के साधन को संरक्षित करना;
- आम जनजीवन की बहाली और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।

मिशन के उद्देश्य

- पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान, जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों के आधार पर अनुसंधान के लिए ज्ञान आधारित संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना।
- खेती और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी के लिए पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन करना।
- कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करने के लिए क्षेत्र में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना।

आगे की राह

- भारत के हिमालयन राज्यों में असम और मिजोरम जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 12 हिमालयी राज्यों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के वजह से मौसम में होने वाले बदलावों पर अंकुश लगाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से होने वाले नुकसान पर अंकुशल लगाना होगा ताकि जान-माल की क्षति न हो सके। हिमालयी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति, अपदा प्रबंधन, कृषि, सिंचाई, फसल बीमा आदि से संबंधित योजनाओं का संचालन किया जाना अतिआवश्यक है। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. योनो कैश

हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक नई सेवा शुरू की है। अब एटीएम से रकम निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक मोबाइल से ही रकम निकाल सकेंगे। एसबीआई ने इसका नाम योनो कैश दिया है। ये सेवा एसबीआई के 1.65 लाख एटीएम पर शुरू होगी। देश में बिना कार्ड के रकम निकालने की सुविधा देना वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया है।

योनो कैश एक कार्डलेस कैश रेमीटेंस प्रणाली है जिसमे बिना बैंक जाए सीधे अपने योनो ऐप से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, फिर चाहे उसका बैंक में अकाउंट हो या नहीं।

इस नई व्यवस्था से आपके कार्ड से जुड़े फ्रॉड की जोखिम खत्म हो जाएगी। इस सेवा को देने वाले एटीएम का नाम योनो कैश प्वाइंट होगा। इसके लिए ग्राहक को योनो ऐप पर कैश निकालने का विकल्प मिलेगा। ऐप में कैश ट्रांजैक्शन के लिए 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें अपने मोबाइल पर एसएमएस के जरिए 6 डिजिट का रिफरेंस नंबर भी मिलेगा।

यह नम्बर डालते ही एटीएम से कैश आपके हाथ में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी। आपको पिन मिलने के 30 मिनट के भीतर ही रकम निकालनी होगी। इसके बाद पिन एक्सपायर हो जाएगा। आप दोबारा भी पिन जनरेट कर सकते हैं। योनो कैश ट्रांजैक्शन पर वन-टाइम विड्रॉल के लिए अधिकतम लिमिट 10,000 रुपये तय की गई है। ग्राहक एक दिन में इस तरह के दो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो 85 ई कॉमर्स कंपनियों की सेवा देता है। एसबीआई ने इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया था। फरवरी 2019 तक योनो ऐप के 1.8 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इसके 70 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। योनो ऐप को एंड्राइड और आईओएस पर डाउनलोड किया जा सकता है।

इस सुविधा के जरिए डेबिट कार्ड से जुड़े जोखिम दूर होंगे। कई जगह लोग डेबिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी कर रहे थे। एटीएम मशीन से वो कार्ड की क्लोनिंग कर लेते थे। इसके बाद कार्ड की मदद से रुपए निकालते थे। ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। इस प्रकार एसबीआई के इस नए कदम से इस तरह की धोखाधड़ी रूकेगी। ■

2. ऊदबिलाव की गणना

ऊदबिलाव (Otter) एक अर्द्धजलीय स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसकी 13 ज्ञात जातियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया और अन्टार्कटिका को छोड़कर ऊदबिलाव बाकी सभी महाद्वीपों पर मिलते हैं। ऊदबिलाव (ऊद कीलुट्रानाम) की जाति संसार में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है।

ऊदबिलावों के शरीर लम्बे और पतले होते हैं। इनके तेज नाखूनों वाले जालीदार पाँव होते हैं। इन जालीदार पांवों से उन्हें तैरने में आसानी रहती है। ये प्राय: 5-7 के समूह में रहते हैं और पानी में घेरा डालकर मछलियों का शिकार करते हैं। इनकी लम्बाई 0.6 से 1.8 मीटर के बीच और वजन 1 से 45 किलो के बीच होती है। बहुत से ऊदबिलाव बेहद ठन्डे पानी में भी रह

सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में खाना तेजी से पचकर ऊर्जा बनती रहती है जिससे वह अपना तापमान संतुलित रख पाते हैं। इसी कारण उन्हें भोजन अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करना पड़ता है। यूरोपियाई ऊदबिलाव रोज अपने शरीर के वजन के 15% के बराबर खाना खा लेते हैं।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व

हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ऊदबिलावों की गणना प्रारम्भ हो गई है। उनके पदचिन्हो को ट्रेस करने का कार्य आरम्भ हो गया है। इसके बाद कैमरों की मदद से उनकी गणना की जाएगी।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हिमालय की तलहटी के जंगली क्षेत्र में स्थित है। यह पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और बहराइच जिले में फैला हुआ है। यह भारत में स्थित 41 टाइगर रिजर्व में से एक है। पीलीभीत क्षेत्र कुल 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शारदा नदी और घाघरा नदी से घिरा हुआ है। इस रिजर्व में कई दुलर्भ प्रजातियों के जीव व जन्तु भी रहते हैं जिनमें बंगाल टाइगर, दलदली हिरण, बंगाल फ्लोरिकेन और भारतीय तेंदुआ आदि शामिल हैं। ■

3. जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF)

हाल ही में ओडिशा सरकार जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) को इस्पात और खान विभाग में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। जिला खनिज फाउन्डेशन को स्थानांतरित करने का उद्देश्य कार्यान्वयन और धन के उपयोग में सुधार करना है।

जिला खनिज फाउंडेशन

- गौरतलब है कि 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015' के अंतर्गत खनन संबंधित परिचालनों से प्रभावित देश के सभी जिलों में 'जिला खनिज फाउंडेशन' (DMF) की स्थापना का प्रावधान है।
- केंद्र सरकार द्वारा खनन कंपनियों के डीएमएफ में देय अंशदान की दरों को अधिसूचित किया गया, ताकि अंशदान के माध्यम से खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधिक टिकाऊ जीवन-यापन सुनिश्चित की जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (PMKKKY) का शुभारंभ किया गया था, जिसे संबंधित जिले की जिला खनिज फाउंडेशन' (DMF) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

क्षेत्राधिकार : इसका संचालन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

केंद्र सरकार ने खनन से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ किया है।

इस कार्यक्रम से खनन से संबंधित परिचालनों से प्रभावित लोगों तथा क्षेत्रों का कल्याण किया जाएगा। इसमें जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग किया जाएगा। डीएमएफ खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित देश के सभी जिलों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाए गए थे।

पीएमकेकेकेवाई योजना के उद्देश्य

- खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना। ये राज्य और केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं की सम्पूरक भी होंगी।
- खनन जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/दूर करना आदि शामिल हैं।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन सुनिश्चित करना। जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला और बाल विकास, वरिष्ठ तथा विकलांगजनों का कल्याण, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस निधि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे।
- हितकर जीवन यापन वातावरण बनाने के लिए निधि की शेष राशि सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बनाने पर खर्च की जाएगी।

पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन में डीएमएफ की भूमिका

केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20-ए के तहत पीएमकेकेकेवाई को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में इन्हें शामिल करें।

डीएमएफ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरतें और उनके द्वारा चलाई विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट दें।■

4. ब्रिटिश सेना में नई विशिष्ट इन्फैंट्री बटालियन

हाल ही में ब्रिटिश सेना ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2019 में 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फैंट्री बटालियन बनाएगी।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, गोरखाओं की संख्या ब्रिटिश सेना का 3% है। ज्ञातव्य है कि 2015 में गोरखाओं ने ब्रिटिश सेना में 200 साल की सेवा पूरी कर ली।
- 1814-16 के एंग्लो-नेपाली युद्ध में उनके अनुशासन और क्रूरता से प्रभावित होकर, अंग्रेजों ने 1815 से शुरू होने वाले गोरखा

सैनिकों को भर्ती करने का फैसला किया था तब से, गोरखाओं ने लगभग हर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ाई लड़ी है, जिसमें दोनों विश्व युद्ध भी शामिल हैं।

- हालाँकि 1947 में आजादी के बाद, गोरखा सैनिकों की 10 रेजिमेंटों को आवंटित करने पर विचार किया गया और बाद में ब्रिटेन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय समझौते से उन्हें सेना में शामिल किया गया। 1948 में, भारत ने गोरखाओं को समायोजित करने के लिए 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का गठन किया।
- बाद में, ब्रिटिश सेना ने अपनी चार रेजिमेंटों को एक संयुक्त रॉयल गोरखा राइफल्स (RGR) रेजिमेंट में शामिल कर लिया, जिसमें तीन बटालियन शामिल थीं। आरजीआर को बाद में मलेशिया, सिंगापुर, और हांगकांग

सहित एशिया में ब्रिटेन की शेष कॉलोनियों में तैनात किया गया था।

गोरखाओं की भर्ती

नेपाल के पोखरा में ब्रिटिश गोरखा शिविर में हर साल गोरखाओं की भर्ती की जाती है। यह शिविर न केवल ब्रिटिश सेना के लिए, बल्कि सिंगापुर पुलिस बल की आतंकवाद विरोधी शाखा के लिए भी नई भर्ती करता है। ब्रिटिश सेना स्काउट्स संभावित भर्तियों की पहचान करने के लिए नेपाली ग्रामीण इलाकों में घूमते हैं, इन्हे सेना में शामिल करने से पहले कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता हैं।

सर्विस

उग्र और वफादार होने के कारण, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में उच्च पद में भी रखा जाता है। उन्हें न केवल पैदल सेना में, बल्कि इंजीनियरिंग कोर में और तर्कशास्त्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय को दो निजी गोरखा अधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू को गोरखा पुलिस अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के लिए पसंद किया जाता है। ■

5. विश्व मौसम विज्ञान दिवस

विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2019 को दुनिया भर में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है।

विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, मौसम विज्ञान शोध के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में प्रोफेसर डॉ. विल्हो वाईसाईला अवार्ड, इंटरनेशनल मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज और द नोबर्ट गेरबीयर- मुम्म इंटरनेशनल अवार्ड शामिल हैं।

वर्ष 2019 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय "The Sun, the Earth and the Weather" है। यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा वर्ष 2011 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर 'जलवायु हमारे लिए' (Climate for You) विषय पर जोर दिया गया।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन को 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।
- अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भू-विज्ञान के लिए वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी बना था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 191 सदस्य देश हैं।
- संगठन की स्थापना का उद्देश्य मानव के दुखदर्द को कम करना एवं संपोषणीय विकास को बढावा देना है। पहले के विपरीत, वर्तमान में मौसम विज्ञान में केवल मौसम संबंधी विधा शामिल नहीं है बल्कि इसमें पूरा भू-विज्ञान है।
- यह संगठन, पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थितिकी और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक आवाज है।
- इस संगठन का उपयोग बाढ़, सूखा एवं भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
- मौसम विज्ञान अध्ययन द्वारा विश्वभर में जलवायु परिवर्तन की परिघटना को बेहतर समझने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह लगाए जाते हैं। जिससे बाढ़, तूफान और अन्य बड़े खतरों के घटने से काफी पहले हमें उनका एक साथ समाधान करने के लिए जानकारी उपलब्ध हो पाती हैं।

■

6. कजारवस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदला

हाल ही में कजाखस्तान की संसद ने देश में लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूरसुल्तान नजरबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर नूरसुल्तान करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है।

अस्ताना का अब आधिकारिक रूप से नूरसुल्तान नाम कर दिया गया है। इसकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कासिम-जोमात तोकायेव ने की है।

हाल ही में नूरसुल्तान नजरबायेव ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति के पद से तीस वर्ष बाद इस्तीफा दिया था। अस्ताना को पहले अकमोला, त्सेलिनोग्राड और अकमोलिंस्क के नाम से भी जाना जाता था।

नूरसुल्तान नजरबायेव

नूरसुल्तान नजरबायेव कजाखस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं। वे 24 अप्रैल 1990 से 19 मार्च 2019 तक कजाखस्तान के राष्ट्रपति रहे। कजाखस्तान में बहुत से लोग नूरसुल्तान नजरबायेव को हीरो की तरह देखते हैं लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उन्हें अहंकारी तानाशाह मानते हैं। उन्हें साल 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सचिव चुना गया था।

बाद में सोवियत संघ से कजाखस्तान की स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति बने। गौरतलब है कि अप्रैल 2015 में उन्हें 98 प्रतिशत वोट के साथ पुनः कजाखस्तान का राष्ट्रपति चुना गया था। नूरसुल्तान नजरबायेव का जन्म 6 जुलाई 1940 को भूतपूर्व सोवियत संघ के चेमोलगन में हुआ था।

कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में नूरसुल्तान नजरबायेव की तस्वीरें हर जगह दिख जाती हैं। इस बड़े से बर्फीले देश में हवाई अड्डों, सड़कों, स्कूल और चौक-चौराहों पर उनका नाम लिखा हुआ मिलता है।

कजाखस्तान के बारे में

कजाखस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह देश अधिकतर एशिया में स्थित है, इसका पश्चिमी हिस्सा यूरोप में स्थित है। इस देश में तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कजाखस्तान ने 16 दिसम्बर 1991 को भूतपूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यहाँ के मुख्य निवासी कजाख लोग हैं जो तुर्क मूल के हैं। कजाखस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफी ठंडी होती है और गर्मी काफी गर्म होती है। ■

7. विश्व क्षय रोग दिवस

हाल ही में पूरे विश्व में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिए कदम उठाना है। विश्व टीबी दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थानों से समर्थन मिलता है। भारत में टीबी के फैलने का एक मुख्य कारण इस बीमारी के लिए लोगों का सचेत ना होना और इसे शुरूआती दौर में गंभीरता से ना लेना है।

भारत का योगदान

भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्धारित समय सीमा से पांच साल पहले 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों 'टीबी उन्मूलन' शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात की घोषणा की थी। सरकार की उज्ज्वला योजना भी टीबी को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। साथ ही सरकार ने टीबी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन से लेकर दवा दुकानदारों तक को अब मरीज की जानकारी छुपाना महंगा पड़ सकता है।

क्षय रोग

क्षय रोग के फैलने का सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव। टीबी (क्षय रोग) यानि ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है, जो माइकोबैक्टिरीयम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बीमारी हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे में फैलती है। सबसे आम फेफड़ों की टीबी है लेकिन ये गर्भाशय, मुंह, लीवर, किडनी, गला,ब्रेन, हड्डी जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। टीबी बैक्टीरिया शरीर के जिस भी हिस्से में होता है उसके टिश्यू को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उससे उस अंग का काम प्रभावित होता है।

टीबी के लक्षण

खांसते समय बलगम में खून का आना, भूख में कमी, थकान और कमजोरी का एहसास, सीने में दर्द, बार बार खांसना, बुखार, गले में सूजन और पेट में गड़बड़ी का होना। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

पुलिस में महिलाओं की स्थिति

पृष्ठभूमि

2.1 भारत में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 1970 के दशक में आरम्भ हुई। उस दौरान हजारों महिलाएँ निम्न पदों से लेकर उच्च पदों तक सुरक्षा बलों में नियुक्त हुई।

3.1 कई राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों ने पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए 30 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किये हैं, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है।

वर्तमान स्थिति

3.2 विभिन्न राज्यों की पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में काफी भिन्नता दिखाई देती है, जहाँ तमिलनाडु पुलिस बल में 12 प्रतिशत महिलाएँ हैं, वहीं असम में यह 1 प्रतिशत से भी कम है।

3.3 महाराष्ट्र की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है, जबकि महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों के अनुपात के लिहाज से चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है।

चर्चा का कारण

1.2 हालाँकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी तो हुई है किन्तु यह पुलिस विभाग की संख्या बल का केवल 7 फीसद ही है।

1.1 भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

4.1 पुलिस में कार्यरत महिलाओं को बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पुलिस में कार्यरत महिलाओं के बीच किए गए एक सर्वे में पाया गया कि उन्हें टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, असुविधाजनक ड्यूटी तथा निजता न होने जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

4.2 रात्रिकालीन ड्यूटी के चलते भी महिलाएँ इस सेवा में नहीं आना चाहतीं। महिला पुलिसकर्मियों को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारियों या सहयोगी कर्मियों के हाथों यौन शोषण की खबरें भी यदा-कदा आती रहती हैं। ऐसी खबरें पुलिस सेवा का सपना देखने वाली महिलाओं के उत्साह को ठंडा कर देती हैं।

4.3 पुलिस में ज्यादातर महिलाएँ निचले पायदान पर कार्यरत हैं जो प्रमुख कार्यकारी पदों पर महिलाओं की कमी को दर्शाता है।

4.4 महिलाओं के लिये पृथक आराम गृह की कमी, अलग आवास और अन्य सुविधाओं एवं बच्चे की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव आदि के कारण पुलिस विभाग में इनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है।

4.5 पुलिस में महिलाओं की कम तादाद की सबसे बड़ी वजह है उन्हें पुलिस के काम के संदर्भ में पुरुषों से कम समझने वाली सोच, जिसकी वजह से उन्हें प्रमोशन पाने और बेहतर जिम्मेदारी वाले काम के लिए चयन नहीं किया जाता। इस कारण पुरुषों के मुकाबले उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है।

आगे की राह

5.5 पुलिस में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के साथ समानता बनाए रखने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण, समर्थन और विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

5.4 पुलिस को मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों के जरिये महिलाओं के लिये पुलिस में अवसरों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिये।

5.3 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के लिए विभाग कानूनी रूप से बाध्य हैं। विभागों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का संचालन करना चाहिए।

5.2 पुलिस विभाग को भी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही उन्हें एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प बनाने के लिए भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए।

5.1 कई महिला पुलिसकर्मी ये मानती हैं कि अलग महिला थानों की बजाय हर थाने में महिला पुलिस की मौजूदगी एक बेहतर रास्ता साबित हो सकता है। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति सभी पुलिसकर्मियों (महिला और पुरुष) की संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

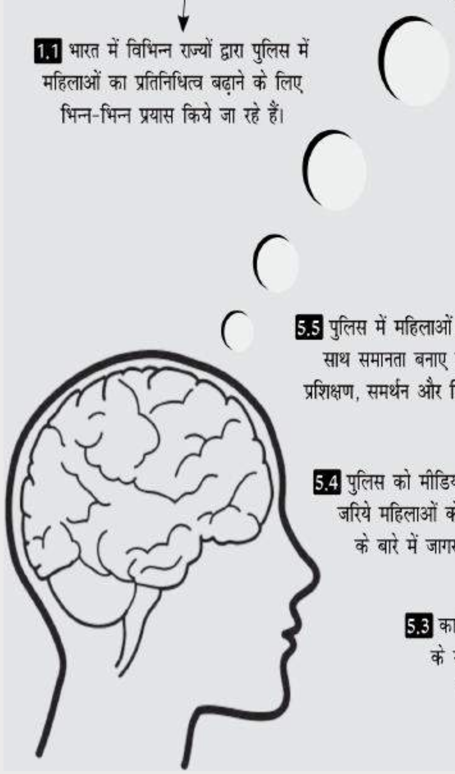

अल-नीनो से बीमारियों का खतरा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने सूचना दी है कि अल-नीनो के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, साथ ही यह भारत में मानसून के लिए नकारात्मक स्थिति पैदा कर रहा है।

1.2 आईएमडी (IMD) के अनुसार, वर्तमान में अल-नीनो की दशा कमजोर है किन्तु यह दो से तीन महीने में वापसी करेगा।

2.1 ज्ञातव्य है कि भारतीय मौसम विज्ञान ने 2018 के अंत तक अल-नीनो घटना के विकास की भविष्यवाणी की थी।

अल-नीनो क्या है?

3.1 अल-नीनो पूर्वी और मध्य विषुवतीय प्रशान्त महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की ऐसी अवस्था है, जिससे हवाओं के पैटर्न में आने वाला परिवर्तन विश्व भर के मौसम में परिवर्तन लाता है।

3.2 प्रत्येक तीन से सात साल के अन्तराल में प्रशान्त महासागर के मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में गर्म पानी का एक विशाल स्रोत बहता है। इस बहाव के कारण वायुमण्डल का ताप अचानक बढ़ जाता है।

3.3 वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी प्रशान्त क्षेत्र में जब हवा का उच्च दबाव पश्चिम की ओर अदृश्य रूप में एक झोंके की तरह बढ़ता है तो इससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर समुद्र की सतह आधा मीटर ऊँची हो जाती है।

3.4 इसी दौरान पेरू के समुद्र तट पर भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। हवा और गर्म जल का यही प्रभाव 'अल-नीनो' के संचालन के लिये जिम्मेदार होता है।

अल-नीनो का जलवायु पर प्रभाव

4.1 अल-नीनो के कारण ही भूमण्डल के एक हिस्से में बाढ़ और तूफान का बोलबाला रहता है, तो दूसरा हिस्सा भीषण सूखे और अकाल की चपेट में आ जाता है। इसकी तुलना ज्वार-भाटा से भी की जा सकती है, जिसमें पानी समुद्र तल से ऊपर उठकर तटों से टकराता है।

4.2 अल-नीनो में अत्यधिक ऊर्जा होती है। एक सामान्य अल-नीनो से कृषि में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है लेकिन इसके प्रभाव को न तो रोका जा सकता है और न ही किसी प्रकार कम किया जा सकता है।

अल-नीनो का स्वास्थ्य एवं जलीय जीवन पर प्रभाव

5.1 वैज्ञानिकों ने 2015-16 की अवधि में कुछ बीमारी के प्रकोपों का विश्लेषण किया और उन्हें अल नीनो की उच्च तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न के साथ सह-संबंधित करने की कोशिश की।

5.2 वैज्ञानिकों ने पाया कि दक्षिण-पूर्व एशिया, तंजानिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील जैसे क्षेत्रों में जो आमतौर पर अल-नीनो से प्रभावित होते हैं, वहां वर्षा, तापमान और वनस्पति में बदलाव के बाद बीमारियों का अत्यधिक प्रसार हुआ है।

5.3 इसके प्रभाव से मलेरिया, डेंगू और रिट वैली ज्वर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

5.4 कुछ अध्ययनों में प्रशान्त महासागर के द्वीप, इंडोनेशिया आदि में डेंगू और अल-नीनो के बीच सम्बन्ध पाया गया है। वास्तव में यदि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा हो जाती है तो जगह-जगह जल एकत्रित होने से मच्छरों के पनपने के लिये अनुकूल जगह बन जाती हैं, ऐसे में मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियों में बढ़ोत्तरी हो जाती है।

5.5 एशिया में वर्ष 1998 में कई देशों में डेंगू की संख्या में वृद्धि हुई थी, जिसका कारण अल-नीनो था।

5.6 ऑस्ट्रेलियन एन्सिफेलाइटिस भी मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारी है। यह दक्षिणी-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भीषण वर्षा और बाढ़ के दौरान अधिक होती है जिसका मुख्य कारण ला-नीना प्रभाव को माना जाता है।

5.7 अल-नीनो की स्थिति का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव पूर्वी प्रशांत के हिस्से में समुद्री जीवन पर पड़ता है।

5.8 लगभग 150 मीटर गहराई वाले पश्चिमी प्रशांत का गर्म जल, पूर्व दिशा की ओर ठंडे जल की छिछली परत को ऊपर की धकेलता है। पोषक तत्त्वों से भरपूर इस जल में समुद्री शैवाल तथा प्लवक और इन पर आश्रित जीवों का विकास होता है। अल-नीनो की स्थिति होने पर पूर्व दिशा की ओर की ताप विभाजन रेखा नीचे दब जाती हैं और ठंडे जल की गहराई बढ़ने से समुद्री शैवाल आदि नहीं पनप पाते।

वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट-2019

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र की ईकाई यूनेस्को द्वारा 19 मार्च 2019 को वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट (अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल विकास रिपोर्ट) जारी की गई।

1.2 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के लगभग 2.1 बिलियन लोगों को अस्वच्छ पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 यूनेस्को द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 4.3 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं है।

2.2 रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षित, सस्ता और विश्वसनीय पेयजल तथा स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच सभी के मूलभूत अधिकार हैं।

2.3 अमीर लोगों को कम कीमत पर बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं जबकि गरीब लोग स्वच्छ पानी के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं।

2.4 विश्व के एक तिहाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद गरीबी की हालत में रह रहे हैं। यह लोग खाद्य असुरक्षा के साथ-साथ कुपोषण से भी जूझ रहे हैं।

2.5 वर्ष 2017 के अंत तक, अभूतपूर्व 68.5 मिलियन लोग संघर्ष, उत्पीड़न एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपने घरों से जबरन विस्थापित हो गए हैं। इसके चलते उन्हें स्वच्छ पानी की सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है।

2.6 इसके अलावा 18.8 मिलियन लोग अचानक आई आपदाओं के चलते विस्थापित हुए, इसके लिए जलवायु परिवर्तन एक प्रबल कारण है।

2.7 बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन से प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा असर पड़ा है। इससे उस स्थान की वास्तविक जनसंख्या तथा विस्थापन के बाद आकर बसने वाले लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धतता के लिए जूझना पड़ रहा है।

वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है?

3.1 वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट (WWDR) संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें विश्व में पानी की उपलब्धता तथा इसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है।

3.2 इसमें स्थानीय समस्याओं, पानी से जूझ रहे विशेष क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है।

3.3 डब्ल्यूडब्ल्यूडीआर का विकास, विश्व जल आकलन कार्यक्रम (डब्ल्यूडब्ल्यूएपी) द्वारा समन्वित, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है, जो संयुक्त राष्ट्र के लिए जल संबंधी कार्यों को करते हैं।

3.4 इसे पहले प्रति तीन वर्ष में एक बार जारी किया जाता था।

3.5 सबसे पहले यह रिपोर्ट वर्ष 2003 में जारी की गई, इसके बाद यह 2006, 2009 और 2012 में जारी की गई। इसके बाद 2014 से यह प्रतिवर्ष जारी की जाने लगी है।

यूनेस्को के सुझाव

4.1 चूंकि प्रभावित और कमजोर समूह सजातीय नहीं हैं, इसलिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के बारे में नीतियों को अलग-अलग आबादी के बीच तथा प्रत्येक को संबोधित करने के लिए विशिष्ट तरीके से डिजाइन करने की आवश्यकता है।

4.2 राज्यों को अपने दायित्व का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सार्वजनिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करें और लोगों के अधिकारों की रक्षा करें तथा उन्हें उनके अधिकार दिलाएँ।

स्वैच्छिक आचार संहिता

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में लोकसभा चुनाव को देखते हुए द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है।

सोशल मीडिया द्वारा साझा किए गए संकेत

2.1 इस प्लेटफार्म में चुनाव आयोग के लिए एक उच्च प्राथमिकता समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र बनाने और आम चुनावों की अवधि के दौरान किसी भी उल्लिखित उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए समर्पित टीमों को नियुक्त करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।

2.2 प्रतिभागियों ने मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा जारी पूर्व-प्रमाणित विज्ञापनों को प्रस्तुत करने के लिए राजनीतिक विज्ञापनदाताओं को एक तंत्र प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

2.3 आचार संहिता पेड पॉलिटिकल विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने का वादा भी करती है। आईएएमएआई इस कोड में वर्णित विभिन्न चरणों में प्रतिभागियों के साथ समन्वय करने के लिए सहमत हो गया है। प्रतिभागियों ने स्वैच्छिक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

2.4 आचार संहिता को आम चुनाव 2019 के लिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से प्रतिभागियों द्वारा स्वेच्छा से सहमत किए गए कोड के साथ काम करेगा।

सोशल मीडिया से संबंधित सहयोग

3.1 भारत की 1.3 अरब आबादी में से एक तिहाई से अधिक के पास इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दुष्प्रचार को दूर करने हेतु अनुचित सामग्री की निगरानी हेतु सोशल मीडिया को अपनी क्षमताओं में विकास करना होगा।

3.2 टिक-टोक ने चुनाव आयोग से कहा कि वह भारत में विज्ञापन नहीं चलाता है और उसके मंच पर कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है।

3.3 फेसबुक ने फैसला लिया है कि एक विज्ञापनदाता जो भारत में राजनीति से संबंधित विज्ञापन चलाना चाहता है, उसे पहले अपनी पहचान और स्थान की पुष्टि करनी होगी और साथ ही यह भी बताना होगा कि विज्ञापन किसने जारी किया है।

3.4 ट्विटर अपने विज्ञापन पारदर्शिता केन्द्र-ATC के द्वारा दुनिया भर में विज्ञापन, इसके पहुंच, भुगतान जानकारी और लक्षित जनसांख्यिकी जैसे व्यापक विवरणों के साथ दुनिया भर में किसी को भी देखने की अनुमति प्रदान करेगा।

3.5 **गूगल** फर्जी खबरों के लिए गूगल समाचार पहल का अनुसरण कर रहा है और हाल ही में अपने गूगल समाचार पहल के तहत डेटा-लीड्स और अंतर समाचार के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण व पत्रकारों का चुनाव में समर्थन देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की है।

सिन्हा समिति की सिफारिशें

4.1 उप-चुनाव आयुक्त श्री उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126 व अन्य धाराओं के प्रावधानों में संशोधनों और परिवर्तनों की समीक्षा और सुझाव देने के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान में संशोधन करने की आवश्कता पर बल दिया है।

4.2 देश में संचार प्रौद्योगिकी या मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रकार, श्रेणी या वृद्धि की जाँच करें और इन मीडिया प्लेटफॉर्म को बहु चरणीय चुनाव के दौरान विनियमित करने में होने वाली कठिनाईयाँ को दूर करें।

4.3 धारा 126 के प्रावधानों के मद्देनजर मतदान के समापन से 48 घंटे पहले और इसके निहितार्थ निरोधात्मक अवधि के दौरान नए मीडिया प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के प्रभाव की गणना करें।

प्रभाव

5.1 इस कदम से पेड पॉलिटिकल विज्ञापनों में पारदर्शिता के साथ उसके फंडिंग एजेंसी के डिटेल के साथ किये जाने वाले खर्च का भी पूरा ब्योरा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

5.2 इसके तहत BIGO बाइटडांस, फेसबुक, गुगल शेयरचैट और ट्विटर ने भी नोडल अधिकारी के बताए कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

5.3 इससे आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिये राजनीतिक दलों पर लागू होने वाली चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

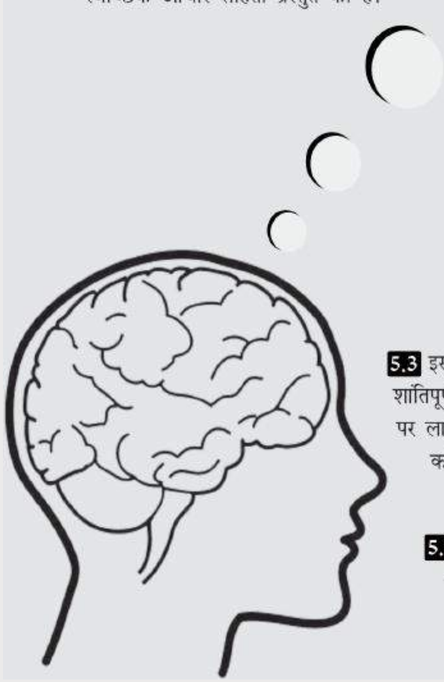

प्रधानमंत्री-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकारी परिषद्

चर्चा का कारण

- **1.1** भारत के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकारी परिषद् (PM-STIAC) ने 9 राष्ट्रीय मिशन को चिह्नित किया है।
- **1.2** इन 9 राष्ट्रीय मिशनों के द्वारा PM-STIAC का उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

प्राकृतिक भाषा अनुवाद

- **2.1** मशीन और मानव अनुवाद के संयोजन के माध्यम से मिशन का उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान सामग्री तक पहुँच को सक्षम बनाना है।

क्वांटम फ्रांटियर

- **3.1** इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के नियंत्रण में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता के साथ काम शुरू करना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स

- **4.1** यह मिशन उन प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट शहरों, अवसंरचना, स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक आवश्यकताओं को बहाल करने में भारत को लाभान्वित करेंगे।

राष्ट्रीय जैव-विविधता मिशन

- **5.1** भारत की जैव-विविधता का व्यापक प्रलेखन करना।
- **5.2** भारत की जैव-विविधता के वितरण और संरक्षण की स्थिति का आकलन।
- **5.3** जैव-विविधता के प्रबंधन और निगरानी के लिए पर्यावरण डाटा के बड़े समुच्चय को संभालने में निपुण पेशेवरों के कैडर का विकास।
- **5.4** पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में ज्ञान का विस्तार जो बहाली के प्रयासों को सूचित करेगा।
- **5.5** कृषि उत्पादन, आजीविका सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए बेहतर विकल्प की तलाश करना।

विद्युत वाहन

- **6.1** इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्वदेशी क्षमता के माध्यम से इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहनों को किफायती बनाकर जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन को कम करना है।

मानव स्वास्थ्य के लिए जैव-विज्ञान

- **7.1** इस मिशन के द्वारा स्वास्थ्य और रोग के नमूने संबंधी अध्ययन के माध्यम से स्वास्थ्य पर प्रकृति और पोषण के प्रभाव को समझना है।
- **7.2** मिशन का उद्देश्य जीनोम के व्यापक मानचित्रों का निर्माण करना है। साथ ही यह समझना कि वातावरण के संपर्क में आने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

अपशिष्ट से लाभ अर्जन

- **8.1** इस मिशन का उद्देश्य ऐसी तकनीक को पहचानना, उसका विकास करना तथा उसे लागू करना जो अपशिष्ट का शोधन कर उसे पुनर्चक्रित कर सके।
- **8.2** यह मिशन उन नई तकनीकों के विकास की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए काम करेगा जो एक स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने का वादा करते हैं।

गहरे समुद्र में अन्वेषण

- **9.1** मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र का वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करना है। इस मिशन के तहत प्राप्त जानकारी से जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर के दीर्घकालिक परिवर्तन से उत्पन्न मुद्दों को समझने में सफलता मिलेगी।

अग्नि

- **10.1** इस मिशन का उद्देश्य देश भर में नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना है, जिसे इनोवेटर्स, निजी स्तर पर तथा जमीनी स्तर पर कार्य करके प्राप्त कर सकते है।
- **10.2** यह नवीन आविष्कारकों को अपने उत्पादों को उद्योगों तक पहुँचाने में एक मंच प्रदान करेगा।
- **10.3** परिणामस्वरूप टेक्नो-एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास के नये युग का प्रारम्भ होगा।

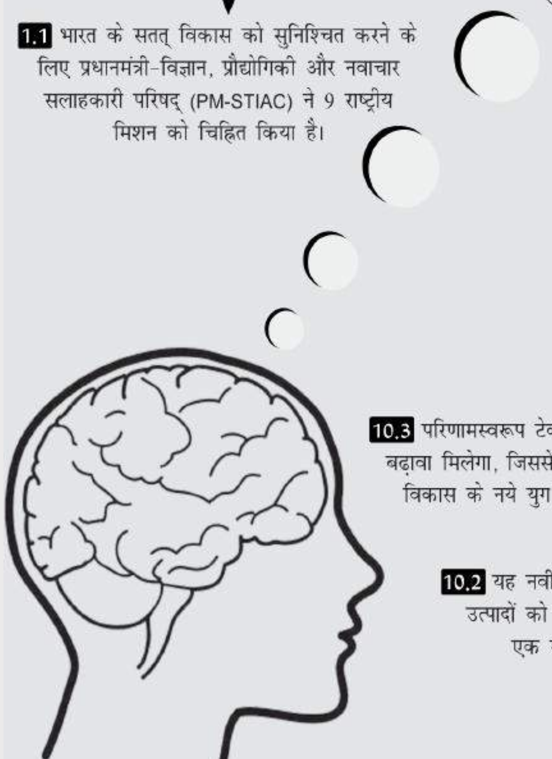

घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक

चर्चा का कारण

1.2 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के रूप में नामित किया है, जिसका अर्थ है कि ये बैंक आर्थिक भागीदारी के रूप में इतने बड़े हैं कि वे नाकाम नहीं हो सकते है। ऐसा आरबीआई का मानना है।

1.2 हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को सरकारी बैंक की जगह निजी क्षेत्र के बैंक में वर्गीकृत कर दिया है। ज्ञातव्य है कि देश की बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया है।

पृष्ठभूमि

2.1 डी-एसआईबी की अवधारणा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद उभरी है।

2.2 डी-एसआईबी ढाँचे के लिए आरबीआई को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होगा और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में रखना होगा।

डी-एसआईबी क्या है?

3.1 जिन बैंकों की संपत्ति वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो फीसद से अधिक होती है, उन्हें डी-एसआईबी में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 एसआईबी के तहत आने वाले बैंकों की निगरानी उच्च स्तर पर की जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने पर वित्तीय सेवाओं में संभावित अफरा-तफरी को रोका जा सके।

3.3 डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) की अनिवार्यता को 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1 अप्रैल, 2019 से यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा।

3.4 भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के संदर्भ में अतिरिक्त सीईटी-एक मूल पूंजी अनिवार्यता 1 अप्रैल से लागू हो रही है और यह जोखिम भारांश संपत्तियों (आरडब्ल्यूए) का 0.6 प्रतिशत तय की गई है।

3.5 आरबीआई ने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेन्ट बैंक्स के क्लासिफिकेशन के बकेट-1 में रखा गया है। वहीं, एसबीआई को बकेट-3 में रखा गया है क्योंकि वह एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक से कहीं बड़ा है।

3.6 डी-एसआईबी के तहत जिन बैंकों को वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें अपनी कोर कैपिटल का एक अतिरिक्त प्रतिशत रिजर्व रखना होता है, जिसे डी-एसआईबी सरचार्ज के रूप में जाना जाता है।

3.7 इस सूची में उन वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाता है जिनके विफल होने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मसलन, किसी भी तरह के वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें सरकार से मदद अपेक्षित है।

3.8 इस श्रेणी के वित्तीय संस्थानों के विफल होने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन यदि ये विफल हो जाएं तो इनका देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है।

प्रभाव

4.1 देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था के लिए ज्यादा अहम बैंकों की अब ज्यादा बारीकी से निगरानी की जाएगी। इसका मकसद वित्तीय तंत्र में किसी भी तरह के संकट के दौरान अनियमितता को रोकना है।

4.2 इन बैंकों के लिए अन्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा कड़े मानक लागू होंगे। इससे हो सकता है कि इन बैंकों से कर्ज लेना अन्य बैंकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा महँगा हो जाए।

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

चर्चा का कारण

1.1 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस सभी देशों में मनाया गया।

1.2 इस दिवस पर यूएन अधिकारियों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नफरत और भेदभाव की उफनती लहरों और उभरते उग्र-राष्ट्रवाद पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।

पृष्ठभूमि

2.1 21 मार्च, 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले नामक स्थान पर रंगभेद पर आधारित पारित किये गये कानून के विरोध में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 69 लोग मारे गये।

2.2 इस नरसंहार की याद में, यूनेस्को ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित किया है।

नस्लीय भेदभाव की चुनौती कायम

3.1 नस्लीय भेदभाव के हर स्वरूप के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के 1969 में लागू होने के 50 साल बाद भी यह चुनौती बनी हुई है।

3.2 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से अपील करता रहा है कि नस्लवाद के अंत तथा समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

3.3 लेकिन राजनीतिक वजहों से इसे जल्द समाप्त किए जाने की अहमियत को नहीं समझा गया। इसके बजाए राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे भाषणों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रभुत्ववादियों के हौसले बुलंद होते हैं, जबकि नस्लीय समूहों को बदनाम किया जाता है।

3.4 यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि असहिष्णुता और भेदभाव से निपटना सिर्फ देशों या प्रशासनिक अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी।

3.5 नस्लीय भेदभाव, विदेशियों की नापसंदगी, और वर्चस्ववादी विचारधाराओं को भड़काने में इंटरनेट एक उर्वर भूमि की तरह काम करता है। कई बार इसके निशाने पर कभी प्रवासी, कभी शरणार्थी तो कई बार अफ्रीकी मूल के लोग होते रहते हैं।

3.6 हर रोज नस्लीय भेदभाव के कारण लोगों को रोजगार, आवास और सामाजिक जीवन में उनके आधारभूत अधिकारों को खामोशी से वंचित कर दिया जाता है।

यूनेस्को का संदेश

4.1 इस दिवस पर अपने संदेश में यूनेस्को (UNESCO) ने कहा कि 'नस्लीय भेदभाव को अब भी सिर्फ इतिहास की किताबों में सीमित नहीं किया जा सका है।

4.2 यह विद्वेषपूर्ण असहिष्णुता और बहिष्कार की भावना अब भी खेल के मैदानों, सड़कों, कार्यस्थलों और सत्ता के गलियारों में देखने को मिलती है।'

संयुक्त राष्ट्र का संदेश

5.1 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति बिना भेदभाव के मानव अधिकार का हकदार है। समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार, मानव अधिकार कानून के मुख्य स्तंभ हैं।

5.2 फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में, भेदभावपूर्ण व्यवहार अभी भी व्यापक हैं, जिनमें नस्लीय, जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीयता आधिकारित नफरत को उकसाया जाता है।

भारत की स्थिति

6.1 भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 को बनाया है।

6.2 अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

आगे की राह

7.1 नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए यूनेस्को जागरूकता के प्रसार पर बल देता है।

7.2 इन्ही प्रयासों के तहत यूनेस्को ने ऑनलाइन जगत में कायम भेदभाव से मुकाबले और इंटरनेट इस्तेमाल का अनुभव सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मीडिया और सूचना साक्षरता के लिए नए औजार विकसित किए हैं।

7.3 इससे आपसी समझ, विवेचनात्मक सोच और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पुलिस में महिलाओं की स्थिति

प्र. पुलिस में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि तो हुई है लेकिन यह पुलिस विभाग की संख्या बल का महज 7 फीसदी ही है।
2. भारत में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 1970 के दशक में आरम्भ हुई।
3. महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों के अनुपात के लिहाज से चंडीगढ़ का देश में प्रथम स्थान है।
4. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 बनाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या मे वृद्धि तो हुई है लेकिन यह आनुपातिक रूप से काफी कम है। इस संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ■

2. अल-नीनो से बीमारियों का खतरा

प्र. अल-नीनो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अल-नीनो पूर्वी और मध्य विषुवतीय प्रशान्त महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की अवस्था को इंगित करता है।
2. अल-नीनो की घटन प्रत्येक 7 से 10 वर्ष के अंतराल पर घटित होती है।
3. इसके प्रभाव से मलेरिया, डेंगू और रिट वैली ज्वर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
4. अल-नीनो के कारण वायुमण्डल का तापमान अचानक बढ़ जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने सूचना दी है कि अल-नीनो के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, साथ ही अलनीनो भारत में मानसून के लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ज्ञातव्य है कि अल-नीनो की घटना प्रत्येक 3 से 7 साल (न कि 7 से 10 साल) के अंतराल पर घटित होती है। अतः कथन 2 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट-2019

प्र. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट-2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 4.3 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2. वर्ष 2014 के बाद से यह रिपोर्ट प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है।
3. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें विश्व में पानी की उपलब्धता तथा इसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की इकाई युनेस्को द्वारा 19 मार्च 2019 को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। सबसे पहले यह रिपोर्ट वर्ष 2003 में जारी की गई थी। इसके बाद यह 2006, 2009 तथा 2012 में तीन-तीन वर्ष के अंतराल पर जारी किया गया था लेकिन वर्ष 2014 के बाद से यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाने लगी। अतः कथन 2 गलत है। जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. स्वैच्छिक आचार संहिता

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है।
2. इससे राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

3. इसके तहत बिगो (BIGO) बाइटडांस, फेसबुक, गुगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को शामिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में लोक सभा चुनाव को देखते हुए 'द सोशल मीडिया प्लेटफार्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने आम चुनाव के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है। इसी प्रकार इससे सोशल साइट पर पेड राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के तहत BIGO बाइटडांस, फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल गिया गया है। इस प्रकार दिये गए कथनों में सभी कथन गलत है। ■

5. प्रधानमंत्री–विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकारी परिषद्

प्र. निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) भारत के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री -विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहाकरी परिषद (PM-STIAC) ने 10 राष्ट्रीय मिशन को चिह्नित किया है।

(b) इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के के अंतर्गत जटिल समस्याओं का समाधान करना है।

(c) इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य गहरे समुद्र का वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करना है।

(d) यह मिशन नवीन अविष्कारकों को अपने उत्पादों को उद्योगों तक पहुँचाने में एक मंच प्रदान करेगा।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकारी परिषद (PM-STIAC) ने 9 (न कि 10) राष्ट्रीय मिशन को चिह्नित किया है। इन 9 राष्ट्रीय मिशनों के द्वारा PM-STIAC का उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। इस तरह का कथन (a) गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

6. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक

प्र. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जिन बैंकों की संपत्ति वार्षिक घरेलू उत्पादन के चार फीसदी से अधिक होती है, उन्हें डी-एसआईबी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2. डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) की अनिवार्यता को 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1 अप्रैल, 2019 से यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1 नही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: आरबीआई के अनुसार जिन बैकों की संपत्ति वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी (न कि 4 फीसदी) से अधिक होती है, उन्हें ही डी-एसआईबी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने, एसबीआई, आईसीआईसीआई तथा एचडीएफसी बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) के रूप के रूप में नामित किया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

7. अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

प्र. अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नस्लीय भेदभाव के हर स्वरूप के उन्मूलन के लिए सन् 1979 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे।

2. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बिना भेदभाव के मानव अधिकार का हकदार है। समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार मानव अधिकार कानून के मुख्य स्तंभ हैं।

3. भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16 को बनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सहीं नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: नस्लीय भेदभाव के हर स्वरूप के उन्मूलन के लिए सन् 1969 में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ पर हस्ताक्षर किये गये थे। भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 को बनाया है। इस प्रकार कथन 1 व 3 सहीं नहीं है जबकि कथन 2 सही है।■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में जारी किये गये 'विश्व प्रसन्नता सूचकांक' में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?

-140वाँ

2. मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक सप्ताह तक मनाये जाने वाले पर्व का क्या नाम है?

-भगोरिया महोत्सव

3. मोजांबिक में हाल ही में कौन से चक्रवात के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है।

-इडाई

4. 2019 का टेम्पलटन प्राइज किसे प्रदान किया गया?

-मार्सेलो ग्लेइसेर

5. एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है?

-करेन उहलेनबेक

6. हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की पहली 1.3 पेटाफ्लॉप हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए सी-डैक (C-DAC) के साथ समझौता किया है?

-आईआईटी खड़गपुर

7. हाल ही में हाकू शाह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?

-चित्र कला

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यआक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (प्रथम चरण) की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य देश में एचआईवी संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके एवं इसे वृहत स्तर पर फैलने से रोका जा सके।
- इस कार्यक्रम को वर्ष 1992 से 1999 के बीच लागू किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए 84 मिलियन डॉलर का खर्च निर्धारित किया गया।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरूआत 1999 में हुई। इस बार यह पूर्णत: केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे एड्स नियंत्रण संस्था के माध्यम से 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों एवं अहमदाबाद, चेन्नई एवं मुंबई के नगर निगमों में लागू किया गया।
- इस कार्यक्रम के तीसरे चरण को वर्ष 2007 से 2012 के बीच लागू किया गया जिसका उद्देश्य भारत में इस महामारी को और अधिक फैलने से रोकना था। इन प्रयासों की मदद से ही भारत विगत दस वर्षों में एचआईवी संक्रमण के प्रसार को घटाने में सफल हो सका और एचआईवी के नए मामलों में भी कमी देखने को मिली है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चौथे चरण (2012-2017) से संबंधित योजना एवं नीतियों का निर्धारण कई हितधारकों से परामर्श लेने के बाद विस्तृत नियोजन प्रक्रिया के पश्चात किया गया।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV का उद्देश्य सतर्क एवं निर्धारित समेकित प्रक्रिया के द्वारा इन पांच वर्षों में एचआईवी संक्रमण के मामलों को तेजी से घटाना एवं देश में इस महामारी से निपटने संबंधी प्रक्रिया को और बल प्रदान करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य एचआईवी के नए मामलों में कमी लाना एवं एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार एवं सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है।
- इस कार्यक्रम की मुख्य नीतियाँ हैं- एचआईवी/एड्स के रोकथाम संबंधी, प्रक्रिया में तेजी लाना एवं उसे बल प्रदान करना एचआईवी/एड्स संबंधी विषयों पर शिक्षा एवं परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, सामरिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिले एवं निचले स्तर पर इसका क्रियान्वयन करना।
- भारत एचआईवी/एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। एचआईवी से संबंधित मामलों को पूर्ण रूप से खत्म किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में अंशत: सफलता भी पाई है।
- भारत को "पूर्णत: एड्स मुक्त" होने में अभी काफी समय लगेगा क्योंकि अभी भी देश में 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच के लगभग 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। यह आँकड़ा विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है।
- परियोजना अवधि समाप्त होने तक 17 लाख पीएलएचआईवी को नि:शुल्कत एंटीरेट्रोवायरल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

2. बड़े वाहनों में ब्रेक की उन्नत प्रणाली

- हाल ही में सरकार ने नौ या उससे अधिक सीटों के वाहनों में ब्रेक की उन्नत प्रणाली को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

- यह निर्णय दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा में सुधार की दृष्टि से किया गया है।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नए नियम वर्तमान वाहनों में अप्रैल 2021 से लागू होंगे। अप्रैल 2022 के बाद बनने वाले सभी वाहनों में ऐसी प्रणाली विनिर्माण के समय ही लगायी जाएगी।
- मंत्रालय के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क-यातायात में सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उन्नत ब्रेक प्रणालियों, प्रौद्योगिकी और निष्पादन की कसौटियों को अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है।
- इनमें एंटी-लाक ब्रेक प्रणाली लगाना, ब्रेक प्रणाली के कार्य-निष्पादन के कड़े नियम, प्रणाली की मजबूती और ब्रेक की ताकत को संभालने में ड्राइवर के लिए सहायक इंटेलीजेंट ब्रेकिंग प्रणाली और ब्रेक लगने के बाद वाहन के आगे घिसटने की सीमा कम करने के लिए वाहन को संतुलित करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली लगाने जैसे नियम शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन

- अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन के अनुसार, दुनिया भर में वाहनों की कुल संख्या का महज तीन प्रतिशत हिस्सा भारत में है, लेकिन यहां होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वालों के मामले में भारत की हिस्सेदारी 12.06 प्रतिशत है।

3. फिनटेक कॉनक्लेव 2019 का आयोजन

- नीति आयोग ने हाल ही में फिनटेक कॉनक्लेव का आयोजन किया है।
- इसका उद्देश्यन भारत के फिनटेक क्षेत्र में बढ़ती ऊँचाइयों को आकार देना, भविष्य की रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों के लिए योजना बनाना तथा व्यापक वित्तीय समावेश के लिए कदमों पर विचार करना है।
- भारत वैश्विक रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है और इस उद्योग के अनुसंधानों ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर या खुदरा तथा एसएलई ऋण का 60 प्रतिशत डिजिटल तरीके से संवितरित हो जाएगा।
- भारतीय फिनटेक प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है जिसने 2014 से लगभग छह बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है।
- भारतीय फिनटेक उद्योग उन्नत जोखिम प्रबंधन एवं कृत्रिम आसूचना में अत्याधुनिक बौद्धिक सम्पदा परिसंपतियों का सृजन कर रहा है जो भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढाने में मदद करेगा, इसके साथ-साथ प्रत्येक भारतीय को कागज विहीन तरीके से वित्त की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

4. समुद्र और उसकी पारिस्थितिकीय प्रणाली

- हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने तेज आर्थिक विकास हासिल करने के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था की प्रचुर क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने की अपील की है।
- समुद्री अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समुद्री आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- ज्ञातव्य है कि भारत समुद्री मार्ग से आयात के माध्यम से अपनी तेल और गैस की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। साथ ही भारतीय वैज्ञानिक समुद्री और महासागरीय ऊर्जा क्षेत्रों में अपने शोध को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक समुद्री- हवा, लहर और ज्वार के स्रोतों से प्राप्त अक्षय ऊर्जा की क्षमता का भी अध्ययन कर रहे हैं।
- भारत की निरंतर वृद्धि के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिए महासागर केंद्रित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- खनिजों के निष्कर्षण के लिए गहरे समुद्र में खनन, पानी के नीचे वाहनों और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास शुरू किया जाना चाहिए।
- कुछ क्षेत्रों जैसे समुद्र से खनिज, महासागर से ऊर्जा में केंद्रित दृष्टिकोण भारत को वैश्विक नेता बना सकता है और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों में मदद कर सकता है।
- हालाँकि, समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्र और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- ग्लोबल वार्मिंग, संसाधन के क्षरण और समुद्री प्रदूषण के मद्देनजर हमें अपने महासागरों का संरक्षण और रखरखाव करना होगा।
- सरकार ने समुद्र संबंधी समस्याओं के समाधान में समाज को विशेष सेवाएँ प्रदान करने के लिए एनआईओ की सराहना की है।

5. नागरिक उड्डयन सुरक्षा

- हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर अवैध हथियारों, प्रतिबंधित सामानों, नकदी और सोने-चांदी इत्यादि की आवाजाही को रोकने हेतु सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।

- हवाई जहाजों को अनियंत्रित/रिमोट/अनारक्षित/एयरस्ट्रिप/एयरोड्रॉम/हेलीपैड/निजी एयरस्ट्रिप/वाटरड्रोम पर सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
- बीसीएएस के अधिकारी हवाई अड्डे का आकस्मिक निरीक्षण कर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुई चुनाव आचार संहिता को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं।

6. आपदा सहनशील आधरभूत ढाँचा-2019

- हाल ही में आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है ।
- कार्यशाला में 33 देशों के विकास और आपदा जोखिम विशेषज्ञ, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य भागीदारों ने भाग लिया।
- कार्यशाला में अपने विशेष संबोधन में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने जन-केंद्रित समाधान पाने के लिए सहनशील आधारभूत ढांचे पर सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार ने कहा कि लाखों लोगों के निकट भविष्य में शहरों और कस्बों की ओर निरंतर जाते रहने के कारण दीर्घकालीन समय में शहरी लचीलापन एक अहम भूमिका निभाएगा।
- दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपदा सहनशील आधारभूत ढाँचे के महत्त्व को दोहराते हुए प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे में दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन मंत्र प्रस्तावित किए।
- इनमें निर्धनों और असहायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता, विभिन्न भागीदारों के सहयोग के साथ समावेशी रूख अपनाने और आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे में वैश्विक प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करना सम्मिलित हैं।
- कार्यशाला में प्रमुख आधारभूत ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और पेयजल आदि में आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की गई।
- इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकृति आधारित नवाचार और इसके आधारभूत ढांचे के सृजन, संचालन और रखरखाव में प्रभाव पर भी चर्चा की गई।
- कार्यशाला के दौरान आधारभूत ढांचे के लिए वित्त और बीमा संबंधी प्रायोगिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
- इसमें आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे के लिए प्रस्तावित गठबंधन (सीडीआरआई) को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत का मंच तैयार हुआ।

7. सभी राज्यों में कार्ड फॉरमेट में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रशन दस्तावेज

- हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तय किया है कि पूरे देश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) कागज पर जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार के अनुसार ये दोनों कागजात अब पूरे देश में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले प्लास्टिक कार्ड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- मंत्रालय की तरफ से राज्यों को ये दोनों कागजात कार्ड फॉर्मेट के रूप में जारी करने की अनुमति दे दी गई है। ये कार्ड पीवीसी या पॉली कार्बोनेट के बने होंगे। इसके लिए सभी राज्यों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, जिससे पूरे देश में एक ही तरह के ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जारी किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि हाल ही में मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट से जुड़े कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग किए जाने को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में भी संशोधन किया था।

राज्यों की भूमिका

- केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि कार्ड फॉर्मेट वाले लाइसेंस या आरसी में वह संबंधित आदमी या वाहन का ब्योरा किस तरह दर्ज करेगा। एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाला यह कार्ड भी चिप आधारित स्मार्ट कार्ड हो सकता है या इसमें क्यूआर कोड जैसा कांटेक्ट-लैंस फीचर भी जोड़ा जा सकता है। इससे आसानी के साथ परिवहन विभाग के सारथी सॉफ्टवेयर (वाहन डाटाबेस) से जुड़कर उस कार्ड पर दर्ज सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकेगा।

सारथी या वाहन

- भारत सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना को लागू करने के लिए सारथी या वाहन नामक एक नया पोर्टल को शुरू किया गया है।
- नये लॉन्च किए गये पोर्टल में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कमियों और परिवहन प्राधिकरण में उत्पन्न समस्याओं को कम करने की संभावना है।
- सारथी या वाहन परियोजना को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ-साथ सभी राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप संकल्पित किया गया है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. दक्षिण चीन सागर

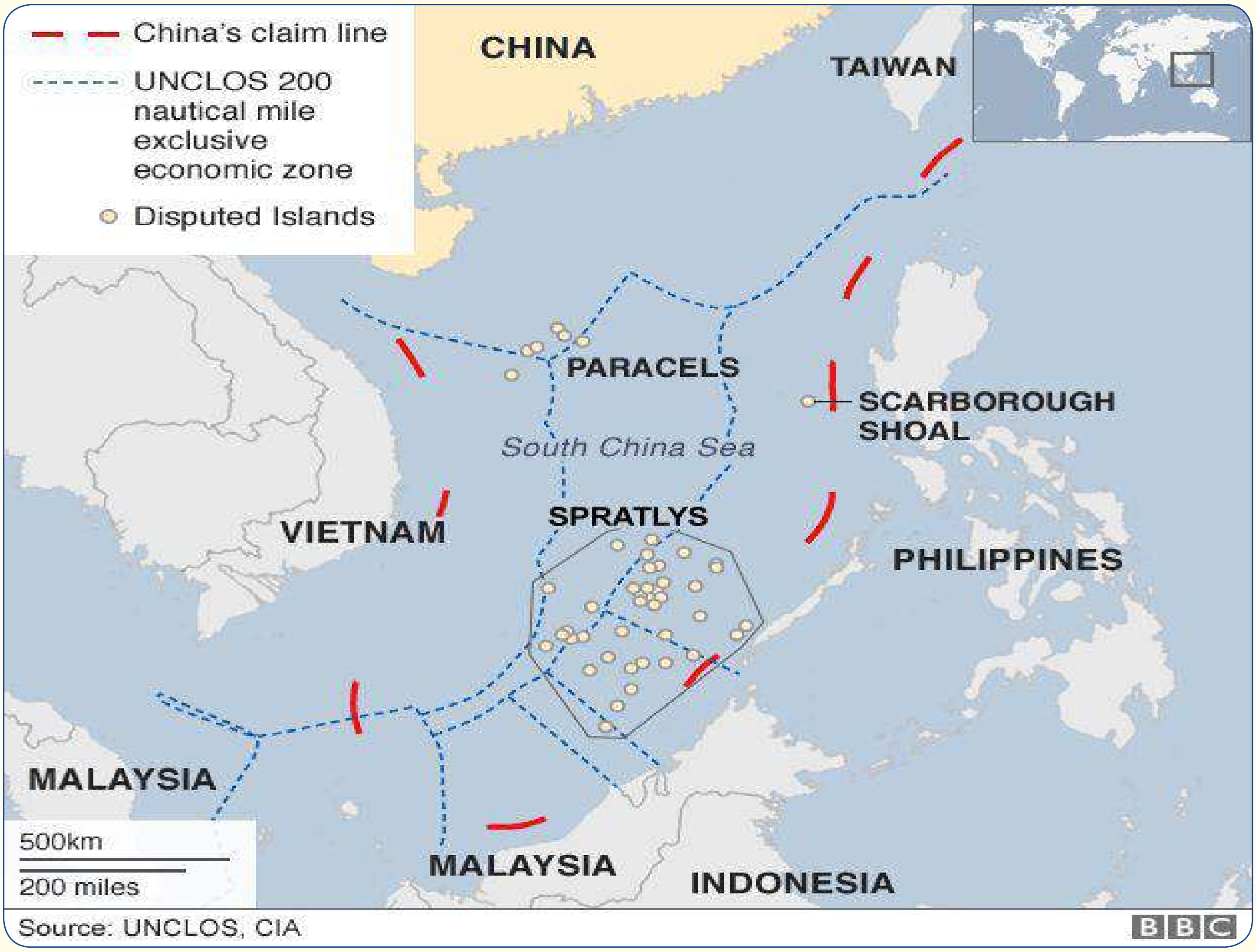

महत्वपूर्ण तथ्य

- दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। इस सागर से इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप जुड़ते हैं। इस सागर के पूर्वी तट पर वियतनाम और कंबोडिया हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैंतुंग द्वीप हैं। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है, जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किमी. में फैला हुआ है।
- पाँच महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जलक्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत-से छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से द्वीपसमूह कहा जाता है। चीन, जापान समेत कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की नौसेनाएँ भी यहां गश्त करती रहती हैं, इस वजह से अकसर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है। चीन के अलावा ताइवान और वियतनाम 'स्पार्टलेज' द्वीपसमूह पर दावेदारी करते हैं। स्पार्टलेज, दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपसमूह है।
- यहाँ के 20 द्वीप वियतनाम के कब्जे में हैं, जबकि फिलीपींस के हिस्से में नौ हैं, इसके अलावा आठ द्वीपों पर चीन ने आधिपत्य जमा रखा है।

2. काला सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण-पूर्वी यूरोप, कॉकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप (तुर्की) से घिरा है।
- काला सागर में डेन्यूब, नीपर, दक्षिणी बग, डेनिस्टर, डॉन और रियोनी नदियाँ गिरती हैं।
- यह दक्षिण में पोंटिक पर्वत, पूर्व में काकेशस पर्वत, उत्तर में क्रीमियन पर्वत, उत्तर पश्चिम में डोब्रोगिया पठार से घिरा है
- काला सागर, 436,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जलाशय है, जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। इसमें समाहित जल का आयतन लगभग 5,47,000 घन किमी. है।
- काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर-पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है।
- इसके पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेशस की पर्वतमालाएँ हैं जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती है। पूर्व से पश्चिम की इसकी सबसे अधिक लंबाई लगभग 1175 किमी. है।

3. लाल सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच एक नमकीन पानी की खाड़ी है।
- हरी-नीली शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरती है, इसी कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है।
- यह सागर 2250 किमी. लंबा है और इसकी चौड़ाई 355 किमी. है। इसके किनारों पर छोटे-छोटे टापू हैं।
- यह बाब-अल-मंदेव जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिन्द महासागर से जुड़ा हुआ है।
- लाल सागर का उत्तरी भाग स्वेज की खाड़ी है जो प्रसिद्ध स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है।
- पूर्वी तट पर यमन और सऊदी अरब की सीमा लाल सागर से लगती है।
- पश्चिम में लाल सागर की सीमा अफ्रीकन देशों के साथ लगती हैं जिसमें मिस्र, सूडान, जिबूती और इरीट्रिया शामिल हैं।

4. अरल सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है।
- अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है, पर अब दिनोंदिन इसका आकार घटता जा रहा है।
- स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है 'द्वीपों की झील', जो इस झील में एक समय पर दिखने वाले लगभग 1500 टापुओं के आधार पर नामांकित थी।
- सन् 1960 में सोवियत प्रशासन ने इसमें विसर्जित होने वाली दो नदियों - आमू दरिया और सिर दरिया को मरुभूमि सिंचाई के लिए विमार्गित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से अरल सागर का क्षेत्रफल घटा और यह तीन अलग-अलग भागों में बँट गया।
- पिछले 40 सालों में अरल सागर का 90 प्रतिशत जल खत्म हो गया है तथा 74 प्रतिशत से अधिक सतह सिकुड़ गई है। इसका आकार 1960 के आकार का सिर्फ 10 प्रतिशत ही रह गया है।
- इस सागर में पानी की लवणता में वृद्धि हो रही है जिससे मछलियों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

5. अजोव सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- अजोव सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा-सा सागर है जो लगभग पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ है।
- अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है।
- 2003 के एक समझौते के मुताबिक,रूस और यूक्रेन कर्च खाड़ी पर मौजूद समुद्र का साझा रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यहाँ मौजूद दो बंदरगाह बरदयान्सक और मारिउपोल खाद्य सामग्री, स्टील और कोयले के आयात और निर्यात के लिए अहम हैं।
- डॉन (Don) और कूबन (Kuban) वे दो बड़ी नदियाँ हैं जो इसमें आकर गिरती हैं।
- अजोव सागर की गहराई 0.9 और 14 मीटर के बीच है। अत: यह विश्व का सबसे छिछला सागर (shallowest sea) है।

6. बाल्टिक सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- बाल्टिक सागर चारों ओर से नौ देशों से घिरा हुआ है, जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैण्ड, रूस और स्वीडन शामिल हैं।
- यह 53° उत्तरी अक्षांश से लेकर 66° उत्तरी अक्षांश तक और 20° पूर्वी देशांतर से लेकर 26° पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 193 किलोमीटर तथा औसत गहराई 55 मीटर है।
- पश्चिम में डेनमार्क तथा छोटे द्वीप हैं जो इसे उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं।
- बाल्टिक क्षेत्र के आठ देश यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में शामिल हैं।
- उत्तर में एलंड द्वीप (Aland Island) समूह के ऊपर बाल्टिक सागर को बोथनिया (Bothnia) की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। पूर्व में फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस से जोड़ती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यह दो छोटे खाड़ी बनाती है, जिसमें डांस्क की खाड़ी (Gulf of Gdansk) और रीगा की खाड़ी (Gulf of Riga) शामिल हैं।

7. कैस्पियन सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है।
- कैस्पियन सागर जमीन से घिरा दुनिया का सबसे बड़ा सागर है और दस वर्ष पहले तक ये ईरान और सोवियत संघ के बीच बँटा हुआ था। लेकिन अब इस सागर के पानी, तेल के बेशकीमती भंडार और भारी मांग वाली स्टर्जन मछलियों पर इसके तट पर बसे देश इस पर अपना दावा कर रहे हैं।
- अभी सिर्फ ईरान को ही स्टर्जन मछलियाँ पकड़ने की अनुमति है। ईरान एक ऐसा अकेला देश है जिसने मछलियाँ पकड़ने संबंधी दिशा-निर्देश लागू कर रखे हैं।
- तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं।
- यूरोप और एशिया के बीच एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल जोन में स्थित, यह ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और पारगमन गलियारा रहा है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS

IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material Available at

rankerssite.com

TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom

011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, PUNJAB – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400